



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

No. 231]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 2007/अग्रहायण 19, 1929

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 2007/AGRAHAYANA 19, 1929

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2007

संख्या फा: 51-1/2007 एनसीटीई (मा तथा मा)।—विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानक और मानदंड सहित मान्यता की मंजूरी के लिए क्रियाविधि निर्धारित करते वाले विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा 13 जनवरी, 2006 को प्रब्लापित किए गए थे। विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मानदंड और मानक बाद में संशोधित और अधिसूचित किए गए। स्पष्टता की खातिर तथा बेहतर समझ के प्रयोजन से इन विनियमों को समेकित करने और एक ही अधिसूचना के तहत जारी करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि ये विनियम मूलभूत रूप से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।

अब इन विनियमों के पैरा 12 में सूचीबद्ध विनियमों को प्रतिस्थापित करते हुए तथा राशिप अधिनियम, 1993 की धारा 32 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्वारा निम्न विनियम बनाती है, यथा:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रवर्तन

- (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि प्रसंग की दृष्टि से अन्यथा अभिप्रेत न हो यहां प्रयुक्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जोकि उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. प्रयोग्यता

ये विनियम संस्थानों की मान्यता, नए कार्यक्रम शुरू करने और मौजूदा कार्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि के लिए मानदंडों और मानकों तथा क्रियाविधियों को कवर करने वाले अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों और अन्य संबद्ध मामलों में लागू होंगे।

4. पात्रता

निम्न श्रेणियों के संस्थान इन विनियमों के अधीन अपने आवेदन-पत्रों पर विचार कराए जाने के लिए पात्र हैं :

- (1) केंद्रीय/राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थान;
- (2) केंद्रीय/राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्तपोषित संस्थान;

- (3) सभी विश्वविद्यालय जिनमें सम-विश्वविद्यालय के रूप में समझे गए और यूजीसी अधिनियम 1956 के अधीन इस प्रकार मान्यता प्रदत्त संस्थान शामिल हैं;
- (4) उपर्युक्त विधि के अधीन पंजीकृत 'अलाभकारी' सोसायटियों और न्यासों द्वारा स्थापित तथा संचालित ख-वित्तपोषी शैक्षिक संस्थान।

5. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का तरीका और समय सीमा

- (1) विनियम 4, के अधीन पत्र और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने का इच्छुक संस्थान मान्यता के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में (तीन प्रतियाँ), प्रक्रिया शुल्क और आवश्यक कागजात सहित राआशिप की संबंधित क्षेत्रीय समिति को भेज सकता है।
- (2) यह प्रपत्र निःशुल्क रूप से परिषद की वेबसाइट www.ncte-in.org से डाउनलोड किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रपत्र सदस्य सचिव, राआशिप के नाम में बनाए गए और जिस शहर में क्षेत्रीय समिति स्थित है, उसमें देय राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 1000 रुपए का भुगतान करके संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- (3) आवेदन-पत्र परंपरागत विधि से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से आनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आनलाइन प्रस्तुत किए जाने के मामले में प्रक्रिया शुल्क सहित आवश्यक कागजात (तीन प्रतियाँ में) संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय को अलग से प्रस्तुत किए जाएंगे। आनलाइन आवेदन करने वालों को प्रपत्र के लिए भुगतान नहीं करना होगा।
- (4) संबंधित क्षेत्रीय समिति को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए जाने की तयशुदा तारीख, जिस शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता मांगी जा रही है उसके पिछले वर्ष की 31 अक्टूबर होगी।
- (5) 31 अक्टूबर को या इससे पूर्व प्राप्त सभी पूर्ण आवेदन-पत्रों पर आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कार्रवाई की जाएगी और मान्यता प्रदान किए जाने या मना किए जाने संबंधी अंतिम निर्णय आगामी वर्ष की 15 मई तक सूचित कर दिया जाएगा।

6. प्रक्रिया शुल्क

कोई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता की मंजूरी अथवा कार्यक्रम में कोई वृद्धि करने अथवा किसी मौजूदा कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सदस्य सचिव, राआशिप के नाम से बनाए गए और क्षेत्रीय समिति का कार्यालय जिस शहर में स्थित है उसमें देय राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के लिए 40000 रुपए का एक-समान शुल्क होगा। समय-समय पर यथासंशोधित राआशिप नियमावली, 1997 के संगत प्रावधानों के अधीन सरकारी संस्थानों को प्रक्रिया शुल्क की अदायगी करने से छूट प्राप्त है।

7. आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करना

- (1) आवेदक संस्थान सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन-पत्रों की प्रस्तुति सुनिश्चित करेंगे। तथापि दरतावेजों में अनजाने में रह गई चूकों अथवा कमियों को कवर करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय समिति का कार्यालय आवेदन-पत्रों की तारीख की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कमियों के बारे में बताएगा जोकि आवेदक संस्थान 90 दिनों के भीतर दूर कर देंगे। 40000 रुपए के प्रक्रिया शुल्क के बिना किसी भी आवेदन-पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ऐसे आवेदन-पत्र आवेदक संस्थानों को लौटा दिए जाएंगे।

- (2) इसके साथ-साथ आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर क्षेत्रीय समितियों का कार्यालय संरथान/संरथानों द्वारा जमा किए गए आवेदन-पत्र की एक प्रति सहित एक लिखित पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन को भेजेगा।
- (3) पत्र प्राप्त होने के बाद संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन आवेदन-पत्रों पर उनकी प्राप्ति के 60 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय को भेजेगा। यदि सिफारिशें नकारात्मक हैं तो राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन आवश्यक आंकड़ों सहित उसके विरुद्ध कोरण/आधार उपलब्ध कराएगा जिन पर संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा आवेदन-पत्र जिन पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा। यदि राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन से 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन को कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (4) कमियों को दूर करने के बाद और संबंधित क्षेत्रीय समिति के संतुष्टि उपरांत विशेषज्ञों के दल, जिसे निरीक्षण दल (वी.टी.) कहा जाता है, द्वारा संरथान से आधारिक-सुविधाओं, उपकरणों, अनुदेशात्मक सुविधाओं आदि का निरीक्षण किया जाएगा जिससे कि पाठ्यक्रम शुरू करने की संरथान की तत्परता के रत्तर का जायजा लिया जा सके। यह निरीक्षण संरथान की सहमति और भवन निर्गाण के सम्बाप्त प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अध्यधीन होगा। जहां तक प्रशासनिक और संभारतंत्रीय दृष्टि से संभव है ऐसा निरीक्षण संरथान की सहमति की प्राप्ति की तारीख के कालक्रमानुसार होगा। यदि एक से अधिक संरथानों की सहमति एक ही दिन प्राप्त होती है तो वर्णक्रम का पालन किया जाएगा। निरीक्षण, संरथान की सहमति की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर किया जाएगा।
- (5) विशेषज्ञों के दल द्वारा संरथान के निरीक्षण के समय संबंधित संरथान निरीक्षण की इस ढंग से वीडियोग्राफी की व्यवस्था करेगा कि सभी महत्वपूर्ण आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाएं तथा प्रबंधक वर्ग और स्टाफ (यदि उपलब्ध हो तो) के साथ वैचारिक आदान-प्रदान वीडियोग्राफ किया जाए। जहां तक संभव होया निरीक्षण दल उसी दिन वीडियोटेपों सहित अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देगा और उन्हें कूरियर कर देगा।
- (6) आवेदन-पत्र और निरीक्षण दल की वीडियोटेपों/सीडी आदि सहित रिपोर्ट विचार किए जाने और उपयुक्त निर्णय लिए जाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति के सामने प्रस्तुत की जाएगी।
- (7) क्षेत्रीय समिति इस राबंध में तसरूली कर लेने के पश्चात ही संरथान राअशिप अधिनियम, नियमों और विनियमों के अधीन सभी शर्तों की, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ संगत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंड और मानक शामिल हैं भूर्ति करता है, उसे मान्यता या अनुमति प्रदान करने के बारे में निर्णय लेगी।
- (8) मान्यता प्रदान करने के मामले में क्षेत्रीय समितियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993, समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली, 1997 तथा राअशिप अधिनियम, 1993 के अधीन बनाए गए विनियमों जिनमें विभिन्न शिक्षा अध्यापक कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक शामिल हैं, की सीमा के भीतर कठोरता से कार्रवाई करेगी और उनके संबंध में किसी तरह की ढील नहीं बरतेगी। क्षेत्रीय निदेशक,

जोकि क्षेत्रीय समितियों के संयोजक होते हैं, क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि राआशिप अधिनियम, नियमावली और विनियमों में, जिनमें विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंड और मानक शामिल हैं संगत प्रावधान क्षेत्रीय समिति की जानकारी में ला दिए जाएं जिससे कि क्षेत्रीय समिति उपर्युक्त निर्णय ले सके।

- (9) संबंधित संस्थान को शैक्षणिक सत्र के शुरू किए जाने से पहले अर्हताप्राप्त संकाय सदस्यों की नियुक्ति के अधीन एक पत्र के माध्यम से मान्यता अथवा अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में सूचित किया जाएगा। इस खंड के अधीन जारी किया गया पत्र राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाएगा। संकाय की नियुक्ति, राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार/विश्वविद्यालय/यूजीसी अथवा संबंधित संबंधन प्रदान करने वाले निकाय की नीति के अनुसार विधिवत रूप से गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। आवेदक संस्थान निर्धारित प्रपत्र में इस आंशय का शपथ-पत्र दायर करेगा कि चयन समिति का गठन ऊपर बताए अनुसार किया गया है। व्यौरों सहित एक अलग स्टाफ सूची निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी। क्षेत्रीय समिति औपचारिक मान्यता मंजूर करने के लिए मामले पर कार्रवाई करने से पूर्व उक्त शपथ-पत्र और स्टाफ की सूची पर भरोसा करेगी।
- (10) सभी आवेदक संस्थान क्षेत्रीय समिति से विनियम 7(9) के अधीन पत्र प्राप्त होने के बाद रख्य अपनी वेबसाइट शुरू करेंगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संस्थान के व्यौरे, इसका स्थान, आवेदित पाठ्यक्रम का नाम और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, भौतिक आधारिक-सुविधाओं (भूमि, भवन, कार्यालय, क्लासरूम तथा अन्य सुविधाएं/सेवाएं) अनुदेशात्मक सुविधाओं (प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि) की उपलब्धता और सभी की जानकारी के लिए फोटों सहित उनके प्रस्तावित शिक्षण तथा शिक्षणेतर स्टाफ आदि के विवरण दिए गए हों।
- (11) उपर्युक्त विनियम 7(9) के अनुसार अपेक्षित संकाय/स्टाफ की नियुक्ति कर लेने और उपर्युक्त विनियम 7(10) के तहत शर्तों की पूर्ति कर लेने के बाद संस्थान अपेक्षित शपथ-पत्र तथा स्टाफ सूची सहित संबंधित क्षेत्रीय समिति को औपचारिक रूप से सूचित करेगा। इसके बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति एक औपचारिक मान्यता आदेश जारी करेगी जिसे राआशिप के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।
- (12) जिन मामलों में क्षेत्रीय समिति निरीक्षण दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इस मत की हो कि संस्थान पाठ्यक्रम शुरू/आयोजित करने अथवा दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के संवर्द्धन के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता तो ऐसे संस्थान को कमियों को दूर करने के लिए एक और मौका प्रदान किया जाएगा। यदि क्षेत्रीय समिति द्वारा एक और निरीक्षण वांछनीय समझा जाता है तो संबंधित संस्थान सदस्य सचिव, राआशिप के पक्ष में उस शहर में देय जहां क्षेत्रीय समिति स्थित है किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास 40000 रुपए का शुल्क फिर से जमा कराएगा। तथापि, यदि सूचित की गई कमियां प्रकृति से मामूली हैं जिनमें सिविल निर्माण कार्य या इसी तरह का कार्य शामिल नहीं हैं तथा किए गए संशोधन भौतिक निरीक्षण के बिना सत्यापन योग्य हैं तो किसी शँड्क की जरूरत नहीं होगी।

- (13) निरीक्षण दल विशेषज्ञों के नामों सहित संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्ट उनके ऊपर क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद उन्हें संबंधित क्षेत्रीय समिति की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

8. मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तें

- (1) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए संस्थान को राअशिप द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों और मानकों से संबंधित सभी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अन्य भौतिक आधारिक सुविधाओं, शिक्षण और गैर-शिक्षण कार्मिकों सहित अर्हताप्राप्त स्टाफ आदि से संबंधित स्थितियां शामिल होंगी।
- (2) शुरू में संस्थान के मामले पर विशेष अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंडों और मानकों में यथानिर्धारित बुनियादी इकाई के लिए केवल एक पाठ्यक्रम के रांबंध में मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। संस्थान आगामी शैक्षणिक सत्र से एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम की एक बुनियादी इकाई के लिए आवेदन कर सकता है। तथापि, एक वर्ष में एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम से अधिक के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता।
- (3) संस्थान को पहले से अनुमोदित अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में संबंधित पाठ्यक्रम का आयोजन तीन शैक्षणिक सत्रों को पूरा कर लेने के बाद दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में पाठ्यक्रम-वार संवर्द्धन के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।
- (4) संस्थान को माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम - बी.एड. तथा बी.पी.एड. कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी यदि इसने अपने आपको राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के साथ एनएएसी द्वारा तैयार किए गए लेटर ग्रेड बी सहित प्रत्यायित करा लिया है।
- (5) जिस संस्थान को विनियम, 2005 अर्थात् 13.1.2006 के प्रख्यापन के बाद बी.एड. तथा बी.पी.एड. अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों में वृद्धि मंजूर की गई है, उन्हें अपने आपको राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के साथ 1 अप्रैल, 2010 को या इससे पहले एनएएसी द्वारा तैयार की गई नई क्रम-निर्धारण प्रणाली के अधीन लेटर ग्रेड बी सहित प्रत्यायन कराना होगा अन्यथा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में जो वृद्धि मंजूर की गई है वह शैक्षणिक सत्र 2010-2011 से समाप्त कर दी जाएगी।
- (6) बी.एड. तथा बी.पी.एड. में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के बारे में भारत के राजपत्र की इस अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले प्राप्त हुए सभी आवेदन-पत्रों पर 13.1.06 को अधिसूचित विनियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा। तथापि, उपर्युक्त विनियम 8(5) के प्रावधान उनके गामले में भी लागू होंगे।
- (7) इन विनियमों के अधीन किसी भी संस्थान को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास आवेदन-पत्र की तारीख को आवश्यक भूमि का कब्जा न हो। सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त इस तरह की भूमि या तो मालिकाना आधार पर या किसी सरकार/सरकारी संस्थानों से कम से कम 30 वर्ष के पट्टे पर होनी चाहिए। जिन मामलों में

संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र विधियों के अधीन पट्टे की अधिकतम अनुमत्य अवधि ३० वर्षों से कम है उनमें राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन की विधि लागू होगी। तथापि, कोई भी भवन किसी अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए पट्टे पर नहीं लिया जा सकता।

- (8) संस्थान/सोसायटी ओथ कमिशनर/नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपए के पक्के कागज पर निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें इन बातों का वर्णन होगा: भूमि का वास्तविक स्थान (गांव, जिला, राज्य आदि), कब्जे में कुल क्षेत्र और भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, कब्जे की विधि अर्थात् मालिकाना या पट्टा। सरकारी संस्थानों के मामले में इस तरह का शपथ-पत्र संस्थान के प्रिंसीपल अथवा अध्यक्ष या किसी अन्य उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा। इस तरह के शपथ-पत्र के साथ भूमि के स्वामित्व/पट्टे के दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी।
- (9) क्षेत्रीय समिति इस शपथ-पत्र को एक अधिकृत स्वघोषणा के रूप में मानेगी। संस्थान द्वारा शपथ-पत्र की एक प्रति उंसकी औपचारिक वेबसाइट पर प्रस्तुत की जाएगी जिससे कि स्वघोषणा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। यदि शपथ-पत्र की सामग्री गलत या झूठी पाई जाती है तो सोसायटी/ट्रस्ट अथवा संबंधित संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा अन्य संगत विधियों के संगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी।
- (10) निरीक्षण के समय संस्थान का भवन विनियम 8(7) के अर्थों में संस्थान के कब्जे में भूमि पर एक स्थायी ढांचे के रूप में पूर्ण होगा जोकि सभी आवश्यक सुविधाओं से सुरक्षित होगा और मानदंडों और मानकों में यथानिर्धारित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा। निरीक्षण के समय आवेदक संस्थान भवन निर्माण का समापन तथा निर्मित क्षेत्र के प्रमाण के रूप में मंजूर किए गए भवन के नक्शे के साथ समापन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करेगा।
- (11) स्थान परिवर्तन के मामले में क्षेत्रीय समिति की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी जोकि नए स्थान पर संस्थान का बाकायदा निरीक्षण करने के बाद प्रदान की जा सकती है। ऐसे स्थान पर परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए शुरू में आवेदन किया गया हो और ऐसा परिवर्तन राअशिप के यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार एक संस्थान के रूप में स्थापित किए जाने के लिए योग्य हो। इसके बाद इस तरह के बदलाव को वेबसाइट पर दर्शाया जाना चाहिए। परिसर में बदलाव के लिए आवेदन-पत्र के साथ सदस्य सचिव, राअशिप के नाम बनाया गया और जिस शहर में क्षेत्रीय समिति स्थित है, उस शहर में देय 40000 रुपए का राष्ट्रीकृत बैंक का बैंक ड्रॉफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए। प्रबंधकवर्ग/सोसायटी/ट्रस्ट के पंजीकृत उपनियमों के अनुसार प्रबंध समिति के बदलाव को छोड़कर प्रबंधकवर्ग/सोसायटी/ट्रस्ट आदि के बदलाव के मामले में भी इसी प्रकार की क्रियाविधि लागू होगी।
- (12) संस्थान, केवल संबंधित क्षेत्रीय समिति से विनियम 7(11) के अधीन मान्यता का आदेश प्राप्त होने और परीक्षण निकाय के साथ संबंधन प्राप्त होने के बाद ही दाखिले करेगा।
- (13) जहाँ कहीं अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए मानदंडों और मानकों में बदलाव हो, वहाँ संस्थान संशोधित मानदंडों और मानवों में निर्धारित अपेक्षाओं की, तत्काल

लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने से पहले संशोधित मानदंडों में निर्धारित शर्तों के अधीन पूर्ति करेगा।

- (14) संस्थान में राअशिप, केंद्रीय और राज्य/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों, संबंधन प्रदान करने वाले/परीक्षण निकायों तथा अन्य केंद्रीय/राज्य संघशासित क्षेत्र प्राधिकारियों के ऐसे सभी संगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों की प्रतियां उपलब्ध रहेंगी जोकि संप्रति किसी शैक्षिक संस्थान को चलाने के लिए प्रासंगिक हों। संस्थान, सभी उपलब्ध जानकारी/कागजात राअशिप को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उनके द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा। इस तरह के कागजात को प्रस्तुत या दिखाने में असफल होने को मान्यता के लिए शर्त के उल्लंघन के रूप में समझा जाएगा।
- (15) संस्थान ऐसे रिकार्ड/रजिस्टर तथा अन्य कागजात आदि रखेगा जोकि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को चलाने के लिए जरूरी हों, विशेष रूप से जो केंद्रीय/राज्य/संघशासित क्षेत्र रांगकारों, संबंधन प्रदान करने वाले/परीक्षण निकायों के संगत मानदंडों और मानकों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों/अनुदेशों/नियमावली आदि में निर्धारित किए गए हों।
- (16) संस्थान निर्धारित प्रपत्र में आनिवार्य प्रकटन तथा अपने सरकारी वेबसाइट में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करने का पालन करेगा।

9. विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे मानदंड और मानक जिन्हें उपर्युक्त पाठ्यक्रम की पैशकश करने वाले संस्थान द्वारा पालन किया जाना जरूरी है नीचे परिशिष्ट 1 से 13 तक में वर्णित किए गए हैं।

(i)	शिक्षा में प्रमाण-पत्र (सी.एड.) प्राप्त कराने वाले रकूल-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-1
(ii)	शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-2
(iii)	प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-3
(iv)	शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.) प्राप्त कराने वाले माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-4
(v)	शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-5
(vi)	शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम (अंशकालिक) के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-6
(vii)	शारीरिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र (सी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-7
(viii)	शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-8

(ix)	शारीरिक शिक्षा में मार्टर डिग्री (एम.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में मार्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-9
(x)	शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.) (एकीकृत) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में चार वर्षीय स्नातक बी.पी.एड कार्यक्रम (एकीकृत) के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-10
(xi)	शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) प्राप्त कराने वाले मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति दोनों के माध्यम से प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-11
(xii)	शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.) प्राप्त कराने वाले मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति दोनों के माध्यम से माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-12
(xiii)	शिक्षा में मार्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त कराने वाले मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति दोनों के माध्यम से अध्यापक शिक्षा में मार्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-13

10. वित्तीय प्रबंध

- (1) स्ववित्तपोषण आधार पर पाठ्यक्रम चलाने वाले सरकारी/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों सहित स्ववित्तपोषी संस्थानों के मामले में प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए 5.00 लाख रुपए की रथायी निधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पांच वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सावधि जमा के रूप में 3.00 लाख रुपए की आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी। रथायी निधि प्रबंधक वर्ष के प्राथिकृत प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी।
- (2) संस्थानों के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को आदाता के नाम देय चेक के माध्यम से अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार संबंधित सरकार/बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा।
- (3) प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सनदी लेखाकर द्वारा विधिवत रूप से प्रभाणित लेखाओं के निम्न विवरण रखे जाएंगे और वर्ष के 30 सितंबर तक अपने औचारिक वेबसाइट पर दर्शाएं जाएंगे।
 - (i) वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र।
 - (ii) वित्तीय वर्ष का लाभ और हानि लेखा।
 - (iii) वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा।

11. ढील देने का अधिकार

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों पर और केवल इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त राज्य/संघशासित क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र में संस्थानों की किसी एक श्रेणी या वर्ग के बारे में इन विनियमों के प्रावधानों में ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन ढील देने के लिए सक्षम होंगे जोकि ढील देने वाले आदेश में निर्दिष्ट की जाएंगी। अपवादात्मक मामलों में अथवा कारणों को लिखित रूप में निर्दिष्ट करने पर अध्यक्ष को किसी सरकारी संस्थान के मामले में विनियमों और संबंधित मानदंडों और मानकों के प्रावधानों में ढील देने का अधिकार प्राप्त है।

12. विनियमों का निरसन

(1) निम्न विनयम उपर्युक्त नए विनियम के लागू होने की तारीख से निरस्त माने जाएंगे:

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम का नाम
1.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 13.01.2006 को 8 के रूप में प्रकाशित दिनांक 27.12.2005 की अधिसूचना संख्या फ.49-42/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	दिनांक 27.12.05 के राअशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियाँ) विनियम, 2006
2.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 21.07.2006 को 112 के रूप में प्रकाशित दिनांक 20.7.2006 की अधिसूचना संख्या फ.49-42/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	दिनांक 20.7.06 के राअशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियाँ) (संशोधन) विनियम, 2006
3.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 21.7.2006 को 112 के रूप में प्रकाशित दिनांक 20.7.2006 की अधिसूचना संख्या फ.49-4/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	दिनांक 20.7.06 के राअशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियाँ) (संशोधन) विनियम, 2006
4.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 15.11.2006 को 168 के रूप में प्रकाशित दिनांक 13.11.2006 की अधिसूचना संख्या फ.49-4/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	दिनांक 13.11.06 के राअशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006
5.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 11.12.2006 को 181	दिनांक 13.11.06 के राअशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियाँ) (तीसरा संशोधन) विनियम,

	के रूप में प्रकाशित दिनांक 30.11.2006 की अधिसूचना संख्या फ.49-4/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	2006
6.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 2.01.2007 को 03 के रूप में प्रकाशित दिनांक 22.12.2006 की अधिसूचना संख्या फ.49-42/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	दिनांक 13.11.06 के राआशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियां) (चौथे संशोधन) विनियम, 2006.

- (2) उपर्युक्त विनियमों का निरसन, इस प्रकार निरस्त किए गए किसी विनियम के पूर्व प्रचालन अथवा उसके अधीन विधिवत रूप से किए गए किसी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा।

बी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2007/असा.]

शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.एड.) के लिए स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मानदण्ड और मानक

1.1 प्रस्तावना

- 1.1.1** प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा-ईसीई (0-6 वर्ष) विशेष रूप से बच्चे की भाषा, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। साथ ही यह शिक्षा बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अन्तिम वर्षों में एक सशक्त अवलम्ब भी प्रदान करती है। ईसीई का उद्देश्य आनन्दपूर्ण, बालकेन्द्रिल, खेल और क्रियाकलाप आधारित अधिगम वातावरण में समग्र बाल विकास करना है। यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि इस अवस्था में तीन आर बच्चों पर थोपे न जाएं और यह भी कि कोई पाठ्यपुस्तकें, परीक्षाएं, इन्टरव्यू गृहकार्य, प्रतियोगी खेल तथा अन्य नेमी रकूली-प्रकृति के अन्य क्रियाकलाप न हों।
- 1.1.2** ईसीई प्रदान करने वाली मौजूदा व्यवस्थाओं और कार्यक्रमों में आईसीडीएस, ईसीई केन्द्र, बालवाडियों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित दिवा-देखभाल केन्द्र, रारकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित पूर्व-प्राथमिक स्कूल (मॉटसरी, किडरगार्टन नर्सरी स्कूल) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बहुविधि क्रियाकलाप शामिल हैं। ये प्रावधान सरकारी, निजी और एनजीओ क्षेत्रों के बीच बंटे हैं जबकि सरकारी हस्तक्षेपणीय उपाय अधिकांशतः आईसीडीएस तक सीमित हैं।

1.2 प्रयोज्यता

आगे दिए गए मानदण्ड और मानक नितान्ततः पूर्व प्राथमिक अथवा स्कूल-पूर्व अथवा नर्सरी (जिस रूप में आमतौर पर विख्यात है) स्तरों के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों को मामले में लागू होंगे।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस.

2.1 अवधि

स्कूल-पूर्व/नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

(क) इस कार्यक्रम में, परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर, कम से कम 180 कार्यदिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन निकटस्थ पूर्व-स्कूलों में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए होंगे।

(ख) छ: दिनों के सप्ताह के दौरान कार्यदिवस छ: घंटे का होंगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और छात्र-अध्यापकों की वार्तविक उपस्थिति जरूरी है ताकि आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सलाह, मार्गदर्शन, संवादों और परामर्श की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

3.1.1 प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

3.2 पात्रता

3.2.1 जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित पूरी कर ली हैं, वे दाखिले के लिए पात्र हैं।

3.2.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो, उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले अर्हक परीक्षा में तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1.1 (क) (i) संख्या (50 छात्रों के बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रिंसीपल	1
लेक्चरर	4

4.1.1 (क) (ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए जो कि 50 छात्रों के गुणक में होंगे पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में तीन की वृद्धि कर दी जाएगी। तथापि, प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में एक बुनियादी यूनिट की वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

4.1.1 (क) (iii) रखारथ्य और शारीरिक शिक्षा, कला, कार्य अनुभव, संगीत, ललित कलाओं, भाण्डर्कर्म, नाटक, नृत्य, विज्ञान (पर्यावरण) के अधीन क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में एक-एक अंशकालिक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी।

4.1.1. (ख) अर्हताएं

(i) प्रिंसीपल:

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित अर्हताओं जैसी होंगी।

(ख) किसी नर्सरी/स्कूल-पूर्व/पूर्व-प्राथमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में 5 वर्ष का अध्यापक अनुभव।

(ii) **लेक्चरर/अध्यापक:**

स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा (प्रमाणपत्र) सहित स्नातक।

अथवा

बी.एड. (नर्सरी)

अथवा

मनोविज्ञान के साथ स्नातक/बाल विकास में विशेषज्ञता के साथ बी.एससी. (गृह विज्ञान)।

टिप्पणी: दो वर्ष की अवधि के बी.एड. (नर्सरी) डिग्रीधारक उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

4.1.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पुस्तकालयाध्यक्ष	एक (पूर्णकालिक)
कला (ललित कलाएं/निष्पादन कला/संगीत)	एक (अंशकालिक)
स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	एक (अंशकालिक)

(ख) अर्हता

सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.1.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक	1 (नियमित)
(ii) कम्प्यूटर प्रचालक एवं स्टोरकीपर	1 (नियमित)
(iii) परिचर	2 (नियमित)

(ख) अर्हताएं

सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

त्रिवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति वे जनुत्तार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट क्रो छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित उद्यार पर की जाएंगी।

- (ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।
- (घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ की संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।
- (ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।
- (च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक सुविधाएं

- 5.1.1** संस्थान के पास कम से कम 1000 वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 500 वर्गमीटर होगा। प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट का स्थान होगा।
- 5.1.2** दो क्लासरूमों, एक बड़े बहुदेशीय हाल, एक विशाल अधिगम संसाधन केन्द्र, सेमीनार/ट्यूटोरियल कक्षों, विकलांगों की शिक्षा के लिए संसाधन कक्ष, प्रिसीपल, संकाय सदस्यों के लिए स्वतंत्र कमरों, प्रशासिनक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होगी। संगीत, कला, नाटक, हस्तशिल्प, सामग्री उत्पादन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी क्रियाकलाप बहुदेशीय हाल में किए जा सकते हैं। प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट का शिक्षणात्मक स्थान होगा। प्रत्येक क्लासरूप का आकार ऐसा होगा कि उसमें 50 प्रशिक्षणार्थी-अध्यापक सुविधापूर्वक बैठ सकें। बहुदेशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था रखी जाएंगी।
- 5.1.3** शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद और ऐथेलेटिक्स के लिए समुचित आकार के बाहरी स्थान के अलावा इन्डोर खेलों के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। खेल के मैदान सहित खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। विकल्प के तौर पर सम्बद्ध स्कूल या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और महानगरीय शहरों/पर्वतीय क्षेत्रों जैसे स्थानों में, जहाँ स्थान की कमी रहती है योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- 5.1.4** आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

5.1.5 संरक्षण का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा-रहित होने चाहिए।

5.1.6 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर बांधनीय हैं।

5.2 शिक्षणात्मक

5.2.1 संरक्षण के पास प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास अध्यापन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए निकटस्थ स्कूल-पूर्व/ईसीई केन्द्रों के संकुल की सुविधा सुलभ होनी चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जाएगी। यह बांधनीय है कि संरक्षण का एक अपना सम्बद्ध नर्सरी स्कूल हो।

5.2.2 संरक्षण एक संयुक्त अधिगम संसाधन केन्द्र का गठन करेगा जिससे कि एक ऐसा वातावरण मुहैया कराया जा सके जिसमें अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया की सहायता और संवर्धन के लिए अध्यापकों और छात्रों के बास्ते बहुविध सामग्री और संसाधन उपलब्ध हो सकें। इनमें निम्न शामिल हो सकते हैं -

- पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं
- बच्चों की पुस्तकें
- श्रव्य-दृश्य सामग्री-टीवी, वीसीआर, टेपरिकार्डर, रलाइड प्रोजेक्टर
- श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री, वीडियो- श्रव्यटेप, रलाइडें, फिल्में
- अध्यापन सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें
- विकासात्मक मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन साधन
- कम्प्यूटर, जीरोकस मशीन

5.2.3 विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री

5.2.3.1 अध्यापन-अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री

ये उपकरण और सामग्री कार्यक्रम में नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा - दोनों दृष्टियों से उपयुक्त और पर्याप्त होने चाहिए। इनमें निम्न शामिल हैं -

शैक्षिक किट, माडल, खेल सामग्री, विभिन्न विषयों (गीत, खेल, क्रियाकलाप, कार्यपृष्ठ) सरल पुस्तकें, कठपुतलियां, सचित्र पुस्तकें, चित्र, ब्लॉ-अप, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड, हैण्डबुक, तस्वीरें, बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं की चित्रात्मक प्रस्तुतियां

5.2.3.2 सहायक सामग्री, खेल सामग्री और कला तथा दस्तकारी क्रियाकलापों के लिए उपकरण, औजार, कच्ची सामग्री

काष्ठ कर्म औजारों का एक सेट, माली के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़ियां बनाने, सिलाई, ड्रेसडिजाइनिंग, कठपुतली के लिए

अपेक्षित उपकरण, प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों द्वारा चार्ट, माडलों को तैयार करने तथा अन्य व्यावहारिक क्रियाकलापों के लिए सामग्री - कला सामग्री, बेकार सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड आदि) औजार जैसेकि कैंची, पैमाने आदि, कपड़ा।

5.2.3.3 श्रव्य दृश्य उपकरण

5.2.2 में यथानिर्दिष्ट। प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा टीवी, वीसीआर, श्रव्य कैसेट रिकार्डर, रस्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रव्य बीडियो कैसेटों, दृश्य-श्रव्य टेपों, रस्लाइडों, फ़िल्में, चार्ट, तस्वीरों, रौट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल) सहित शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं वांछनीय होंगी।

5.2.3.4 संगीत और लय

हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मंजीरा तथा अन्य स्वदेशी वाद्ययंत्रों जैसे सामान्य संगीत वाद्ययंत्र।

5.2.3.5 पुस्तकें, जर्नल तथा पत्रिकाएं

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम 1000 पुस्तकें होनी चाहिए और हर साल 100 उत्कृष्ट पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के विश्वकोष, कोष, संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, बच्चों पर तथा उनके वास्ते पुस्तकें, अध्यापक पुस्तिकाएं (प्रहसनों, कथाओं, सचित्र पुस्तकों/ऐल्बमों, कविताओं सहित), संस्थान को कम से कम तीन पत्रिकाएं मंगानी चाहिए जिनमें से कम से एक एक व्यावसायिक शिक्षा से सम्बद्ध होनी चाहिए।

5.2.3.6 खेल और खेल-कूद

सामान्य इन्डोर और आउटडोर खेलों के लिए सम्बन्धित खेल और खेल-कूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

5.3 सुविधाएं

- 5.3.1 शिक्षण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर।
- 5.3.2 संस्थान को महिला अध्यापक-प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूमों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
- 5.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के वास्ते पर्याप्त संख्या में अलग-अलग टायलेट उपलब्ध होने चाहिए।
- 5.3.4 वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

5.3.5 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

5.3.6 परिसर की नियमित सफाई, पानी और टायलेट सुविधाएं, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उन्हें बदलने की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए।

6.0 पाठ्यचर्या संचालन

पाठ्यचर्या संचालन में भूमिका निर्वाह - खेल, प्रश्नोत्तरी, सामग्री निर्माण, परियोजना कार्य, बाल मेला आदि जैसे दृष्टिकोणों और तरीकों पर बल दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा भावी अध्यापकों को एक आनंदपूर्ण वातावरण बनाने में प्रशिक्षित किया जा सके जिससे कि 4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के भीतर स्कूली शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो सके।

7.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुदेशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों में आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है।

शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) के लिए प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मानदण्ड और मानक

1.0 प्रस्तावना

- 1.1.1** देश के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा (6-14 वर्ष) प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है। प्रारम्भिक शिक्षा को उद्देश्य समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक और लैंगिक अन्तरालों को पाटने वाले एक समाविशी स्कूल वातावरण में सभी बच्चों की बुनियादी अधिगम जरूरतों को पूरा करना है।
- 1.1.2** प्रारम्भिक शिक्षा के उद्देश्य ये हैं कि बच्चे को साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, सम्प्रेषण और समस्या समाधान के कौशल विकसित करने और आसपास के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण तथा उत्पादकता और जीवन रस्तर में सुधार से जुड़ी अभिवृत्तियों और कौशलों का ज्ञान और समझ विकसित करने योग्य बनाया जा सके।
- 1.1.3** शिक्षा का प्रारम्भिक रस्तर बच्चे को तीन आर (पढ़ना, लिखना और गणित) के साथ औपचारिक रूप से परिचित करने की शुरूआत है जो धीरे-धीरे विषय क्षेत्रों के अध्ययन की ओर बढ़ता है। इसे बच्चे के लिए एक ऐसा अधिगम वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जो कि आनन्दपूर्ण, क्रियाकलाप आधारित तथा सहभागितापूर्ण अध्यापन एवं अधिगम को बढ़ावा देता हो।
- 1.1.4** प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम कई नामों से जाना जाता हैं जैसेकि बीटीसी, शिक्षा में डिप्लोमा, टीटीसी तथा इसी तरह के अन्य नाम। प्रशिक्षण की अवधि और प्रवेश की अहतीएं अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। यह पाठ्यक्रम प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों तथा डाइटों में चलाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के (I से VIIIवें) रस्तर के लिए अध्यापक तैयार करना है।

2.0 अवधि और कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष है।

2.2 कार्य दिवस

- (क) इस कार्यक्रम में, परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर, कम से कम 180 कार्यदिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन निकटरथ प्रारम्भिक स्कूलों अभ्यास-अध्यापन/कौशल विकास के निमित्त होंगे।
- (ख) एक कार्यदिवस छः दिन के सप्ताह में कम से कम छः घंटे का होगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों तथा प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों की वार्ताविक उपस्थिति जरूरी

होगी ताकि जब कभी जरूरत हो वैयक्तिक सलाह, मार्गदर्शन, संवाद और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि..

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

3.1.1 प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा। तथापि अध्यापक शिक्षा संबंधी केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन रखीकृत जिला शिक्षा और प्रौद्योगिकी संस्थानों (डाइट) /जिला संसाधन केंद्रों को अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन अधिक से अधिक 200 छात्र दाखिल करने की मंजूरी दी जा सकती है।

3.2 पात्रता

3.2.1 उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा उसके समतुल्य परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।

3.2.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले अर्हक परीक्षा में तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1.1 (क)(i) संख्या (दाखिल किए जाने वाले 50 और दो वर्षों के लिए 100 छात्रों की संयुक्त क्षमता के लिए)

प्रिंसीपल	1
लेक्चरर	5

4.1.1 (क)(ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए जो कि 50 छात्रों के गुणक में होंगे पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में तीन की वृद्धि कर दी जाएगी। तथापि प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में एक बुनियादी यूनिट की वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

4.1.1 (क)(iii) अध्यापकों की नियुक्ति ऐसे की जाएगी कि सभी प्रविधि पाठ्यक्रमों और आधारिक पाठ्यक्रमों के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

4.1.1 (ख) अर्हताएं**(i) प्रिंसीपल**

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं, तथा

(ख) प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में अध्यापक का पांच वर्ष का अनुभव

(ii) लेक्चरर

एम.एड.

अथवा

बी.एड. अथवा बी.एल.एड. सहित 55% अंकों के साथ एम.ए. (शिक्षा)

अथवा

डी.एड. अथवा बी.एल.एड. सहित किसी भी विषय में 55% अंकों सहित मास्टर डिग्री

टिप्पणी: दो वर्ष की अवधि वाली बी.एड. डिग्रीधारकों को विशेष भारिता प्रदान की जाएगी।

4.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ**(क) संख्या**

- पुस्तकालयाध्यक्ष एक (पूर्णकालिक)
- कला (ललित कलाएं/ निष्ठादन कला/संगीत) एक (अंशकालिक)
- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा एक (अंशकालिक)
- कार्य अनुभव एक (अंशकालिक)

(ख) अर्हताएं

सम्बन्धित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित अर्हताएं।

4.3 प्रशासनिक स्टाफ**(क) संख्या**

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| (i) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक (नियमित) | - 1 |
| (ii) कम्प्यूटर प्रचालक-एवं-स्टोरकीपर | - 1 (नियमित) |
| (iii) सहायक | - 2 (नियमित) |

(ख) अर्हताएं

सम्बन्धित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित अर्हताएं।

4.4 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

- (क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
- (ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।
- (ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी रटाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।
- (घ) संरक्षण के शैक्षणिक तथा अन्य रटाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।
- (ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संरक्षण के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।
- (च) रटाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

- 5.1.1 क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 1500 वर्गमीटर होगा जिसमें क्लासरूमों आदि के रूप में निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट का स्थान होगा।

डी.एड. कार्यक्रम के साथ अन्य पाठ्यक्रम चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

केवल डी.एड.	- 1000 वर्गमीटर
डी.एड. सहित बी.एड.	- 2500 वर्गमीटर
डी.एड. तथा एम.एड. सहित बी.एड.	- 3000 वर्गमीटर

- 5.1.2 दो क्लासरूमों, एक बहुदेशीय हाल, एक बहुदेशीय प्रयोगशाला, सेमीनार/ट्यूटोरियल कक्षों, विकलांगों की शिक्षा के लिए संसाधन कक्ष, प्रिसीपल, संकाय संदर्भों, कार्यालय, प्रशासनिक रटाफ के लिए खतंत्र कंमरों तथा एक स्टोर की व्यवस्था होगी। संगीत, कला, नाटक, कार्यानुभव

क्रियाकलापों के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था की जाएगी। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में प्रत्येक छात्र के वार्ते कम से कम 10 बर्गफुट स्थान होगा। बहुउद्देशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था रखी जायेगी।

- 5.1.3 खेल के मैदान सहित खेल सुविधाएं होंगी। विकल्प के तौर पर सम्बद्ध स्कूल या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और महानगरीय शहरों/पर्वतीय क्षेत्रों जैसे स्थानों में, जहाँ स्थान की कमी रहती है छोटे मैदान के खेलों, योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- 5.1.4 आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।
- 5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा रहित होने चाहिए।
- 5.1.6 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

5.2 शिक्षणात्मक

- (क) संस्थान के पास अभ्यास अध्यापन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त संख्या में (5-10) मान्यताप्राप्त स्कूल होने चाहिए। प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास अध्यापन के लिए स्कूल, मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूलों के 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर होना चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जाएगी। यह वांछनीय है कि संस्थान का एक अपना सम्बद्ध प्रारंभिक स्कूल हो।
- (ख) मनोविज्ञान और विज्ञान सेक्षणों सहित एक बहुउद्देशीय शैक्षिक प्रयोगशाला और उसके साथ सम्बद्ध एक कार्यशाला होगी।
- (ग) विज्ञान सेक्षण में प्रारंभिक स्कूलों के पाठ्यक्रम के अनुसार सभी प्रयोगों का निर्दर्शन करने के लिए अपेक्षित उपकरण उपलब्ध रहेंगे।
- (घ) मनोविज्ञान सेक्षण में बच्चों के प्रेक्षण, परामर्श तथा मार्गदर्शन, व्यक्तित्व और रुचि सूचियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
- (ड.) भाषा सीखने के लिए हार्डवेयर और साफ्टवेयर सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
- (ब.) एक ऐसी शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होगी जिसमें प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा टीवी कैमरा सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए जरूरी शैक्षिक साफ्टवेयर उपलब्ध रहेगा।
- (छ) रोट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह इन्टरलिंकिंग टर्मिनल) वांछनीय होगा।

- (ज) एक पुस्तकालय होगा जिसमें अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोषों, शब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडा रोम) सहित कम से कम 2000 पुस्तकें और प्रारम्भिक शिक्षा तथा सम्बद्ध विषयों पर पांच शैक्षिक पत्रिकाएं उपलब्ध रहेंगी। इस संग्रह में प्रतिवर्ष 200 पुस्तकें जोड़ी जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा के साथ-साथ इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर उपलब्ध रहेंगे।
- (झ) एक कला और संगीत सेवकालय होगा जिसमें दृश्य कला के लिए आर्ट पेपर, साथ ही बोर्ड, ब्रश, रंग आदि उपलब्ध रहेंगे। हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मृदंग तथा अन्य स्थानीय लोकप्रिय वाद्ययंत्र, मंचन, नृत्य और नाटक नियादन के लिए वेशभूषाएं तथा अन्य साज-सामान उपलब्ध रहेगा।

5.3 सुविधाएं

- 5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5.3.2 संरक्षण को पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूपों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
- 5.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के वारते पर्याप्त जंगला में अलग-अलग टायलेट उपलब्ध कराये जाएंगे।
- 5.3.4 वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी।
- 5.3.5 संरक्षण में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 5.3.6 जबकि कभी जरूरत हो फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए और परिसर, पानी तथा टायलेट सुविधाओं की नियमित सफाई के लिए कारगर व्यवस्था होनी चाहिए।

6.0 पाठ्यचर्या संचालन

आधारिक विषयों को पढ़ाने के अलावा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक पाठ्यचर्या अर्थात् क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा समाज विज्ञान तथा पर्यावरणात्मक शिक्षा जैसी विधियों विषयों को पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था होगी।

7.0 सामान्य

यदि एक ही संरक्षण द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुदेशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की अनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है।

प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानक और मानदंड

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पास अब यह सांविधिक प्राधिकार प्रदान किया गया है कि वह अध्यापक शिक्षा का सुनियोजित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा विद्यालय स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तरों के लिए तैयारी सहित अध्यापक शिक्षा के मानकों का निर्धारण और उन्हें बनाए रखने का लक्ष्य सुनिश्चित करने की दिशा में वह जो भी उचित समझे, कदम उठाए। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापक एवं अध्यापक-प्रशिक्षक तैयार करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना अनेक कारणों से अनिवार्य हो गया है। ये मानक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले वर्तमान संस्थानों के लिए इस दृष्टि से सहायक सिद्ध होंगे कि इनके आधार पर वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों से अपने यहां उपलब्ध व्यवस्थाओं की तुलना कर सकेंगे और यदि उनमें कोई खामियां हैं तो उनमें सुधार करने की आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। इन मानदंडों से अध्यापक शिक्षा के लिए नए संस्थानों, कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की उपयुक्त योजना बनाने में भी सहायता मिल सकेगी।

यहां मानकों एवं मानदंडों में उन ‘शर्तों’ का निवेश किया गया है जिनकी पूर्ति मान्यता, अनुमति तथा प्रवेश के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवश्यक है।

इस दस्तावेज में आमने-सामने के माध्यम से चार वर्ष का पूर्णकालिक एकीकृत प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.ई.एल.ई.डी.) कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मानक और मानदंड स्पष्ट किए गए हैं।

आशा है कि इस दस्तावेज का प्रयोग अध्यापक शिक्षा के योजनाकारों तथा प्रशासकों और अध्यापक शिक्षा से जुड़े सरकारी स्वायत्त एवं निजी क्षेत्र के प्रबंधकों द्वारा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनका आयोजन और उनकी मान्यता के लिए उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इन मानदंडों का प्रयोग, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा (बी.एल.एड.) कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों की व्यावसायिक मान्यता के लिए करेगी। इन मानदंडों का प्रयोग वर्तमान कार्यक्रमों और संस्थानों के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सरकारी, स्वायत्त तथा निजी प्रबंधकों को सलाह देने के लिए भी किया जा सकेगा।

1. पाठ्यक्रम की अवधि

- (क) एकीकृत प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा डिग्री कार्यक्रम, जिसे इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) कहा जाएगा, अध्ययन के चौथे वर्ष/अंतिम वर्ष में स्थानबद्ध अध्यापन (इंटर्नशिप) की अवधि सहित, जो कम से कम 16 कार्य-सप्ताहों की होगी, कम से कम चार शैक्षणिक वर्षों की अवधि का होगा।
- (ख) इस कार्यक्रम में जिन प्रत्याशियों को प्रवेश दिया जाएगा उन्हें दाखिले के वर्ष से छः वर्ष के भीतर अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा को पूरा कर लेना होगा।

2. प्रवेश के मानदंड

- (क) प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में चार वर्ष के डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशियों को, प्रत्याशी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई केंद्रीकृत निर्धारित प्रवेश परीक्षा (सीईटी) पास करनी होगी। सीटों में आरक्षण संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में 5% ढील दी जाएगी।
- (ख) प्रवेश के लिए योग्यताएं
 - (i) प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) में प्रवेश के लिए कम से कम 10+2 उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
 - (ii) इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक है कि उसने विद्यालय के कैलेंडर के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिन या उसके पहले आयु के 17 वर्ष पूरे कर लिए हों।

3. दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या और स्थानांतरण

- (क) एक यूनिट में एक कक्षा में 35 से अधिक प्रत्याशियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संस्थानों द्वारा पहले वर्ष के अंत में केवल एक बार ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से पूर्व अनुमति लेकर विद्यार्थियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने की अनुमति दी जाएगी किंतु शर्त यह है कि प्रत्याशियों की संख्या दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमत्य अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

4. पाठ्यक्रम तथा अध्ययन की अवधि

मान्यता के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों को प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करनी होगी। अध्यापन कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में हरेक संस्थान को क्षेत्रीय दौरों तथा प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में नवाचारी क्रियाकलापों वाले केंद्रों के दौरों की व्यवस्था करनी होगी। संस्थानों को पाठ्यक्रमों की निम्नलिखित योजना के अनुसार शिक्षा देने का प्रबंध करना होगा:

(क) प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) की पाठ्यक्रम योजना

बी.एल.एड. कार्यक्रम की रूपरेखा इस ढंग से बनी होनी चाहिए कि उसमें विषय ज्ञान, मानवीय विकास, शिक्षाशास्त्र तथा संप्रेषण-कौशल - इन सभी का समेकन हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य एवं वैकल्पिक - दोनों सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों, अनिवार्य अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों तथा अनिवार्य स्थानबद्ध स्कूल अनुभव प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का समावेशन अनिवार्य है:

सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

- आधारिक पाठ्यक्रम
- कोर पाठ्यक्रम
- शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम
- उदारीकृत पाठ्यक्रम
- शिक्षा में अन्य विकल्प

अभ्यासक्रम

- निष्पादन कलाएं एवं ललित कलाएं, शिल्प तथा शारीरिक शिक्षा
- सहभागितापूर्ण कार्य
- बच्चों का अवलोकन
- आत्म-विकास कार्यशाला
- विद्यालय संपर्क कार्यक्रम
- विद्यालय में स्थानबद्ध अध्यापन कार्य
- परियोजना कार्य
- ट्यूटोरियल्स एवं गोष्टीक्रम
- शैक्षणिक संवर्द्धन क्रियाकलाप

(ख) सैद्धांतिक एवं अभ्यासक्रम का वर्गीकरण तालिका 1क तथा 1ख में सुझाए अनुसार ज्ञान के क्षेत्रों के आधार पर किया जाए।

तालिका 1क : व्यावसायिक शिक्षा के लिए आधारिक आधार

अध्ययन का क्षेत्र	बी.एल.एड. पाठ्यक्रम
विषय के ज्ञान का आधार	<p>कोर पाठ्यक्रम:</p> <p>सी.1.1 भाषा का स्वरूप</p> <p>सी.1.2 कोर गणित</p> <p>सी.1.3 कोर प्राकृतिक विज्ञान</p> <p>सी.1.4 कोर सामाजिक विज्ञान</p> <p>द्वि-स्तरीय उदारीकृत विषय विशेष वैकल्पिक पाठ्यक्रम:</p> <p>02. किसी भी चुनिदा विषय क्षेत्र में एक्स और 03.एक्स आधारिक पाठ्यक्रम (बहु-विषय क्षेत्रीय)</p> <p>एफ 1.2 समकालीन भारत</p>

शिक्षा	आधारिक पाठ्यक्रमः एफ 3.6 शिक्षा की मूल अवधारणाएं एफ 3.7 विद्यालय नियोजन तथा प्रबंधन एफ 4.8 पाठ्यचर्चा अध्ययन एफ 4.9 लिंग एवं विद्यालय शिक्षा
बाल अध्ययन	आधारिक पाठ्यक्रमः एफ 1.1 बाल विकास एफ 2.3 संज्ञान तथा सीखना एफ 2.4 भाषा अर्जन

तालिका 1ख : व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम

अध्ययन का क्षेत्र	बी.एल.एड. पाठ्यक्रम
बाल अध्ययन	<p>अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमः</p> <p>पीआर 1.2 (क) विद्यालय संपर्क कार्यक्रम (ख) शिल्प</p> <p>पीआर 2.3 बच्चों का अवलोकन</p> <p>पी.2.1 समूचे पाठ्यक्रम में भाषाज्ञान</p> <p>पी.3.2 तर्कपरक गणित शिक्षा</p> <p>पी.3.3 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षाशास्त्र</p> <p>कोई एक वैकल्पिक शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमः</p> <p>ओपी.4.1 भाषा</p> <p>ओपी.4.2 गणित</p> <p>ओपी.4.3 प्राकृतिक विज्ञान</p> <p>ओपी.4.4 सामाजिक विज्ञान</p> <p>अथवा</p> <p>शिक्षा से संबंधित कोई एक वैकल्पिक उदारीकृत पाठ्यक्रम ।</p> <p>ओएल.4.1 कंप्यूटर शिक्षा</p> <p>ओसी.4.2 विशेष शिक्षा</p> <p>विद्यालय संपर्क कार्यक्रमः</p> <p>एससी.3.1 कक्षा प्रबंधन</p> <p>एससी.3.2 सामग्री विकास तथा मूल्यांकन</p>
अध्यापकों का विकास एवं कौशल प्रशिक्षण	<p>आधारिक पाठ्यक्रमः</p> <p>एफ 2.5 मानव संबंध एवं संप्रेषण</p> <p>अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम</p> <p>पीआर 1.1 रंगमंच</p> <p>पीआर 1.2 शिल्प</p> <p>पीआर 2.4 आत्म-विकास</p>

	पीआर 2.5 शारीरिक शिक्षा गोष्टीक्रम/ट्यूटोरियल्स शैक्षणिक संवर्द्धन, क्षेत्र-आधारिक परियोजनाएं/एसाइनमेंट्स
विद्यालय अनुभव	एसआई विद्यालय में स्थानबद्ध परियोजना

टिप्पणी: अनुशंसात्मक/निदर्शी विवरण अनुबंध 'ए' में दिए गए हैं:

(ग) विद्यार्थी संपर्क के घंटे

विद्यार्थी संपर्क के वर्ष-वार न्यूनतम घंटों का विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

तालिका 2 : वर्ष-वार विद्यार्थी संपर्क कार्यक्रम के कम से कम घंटे

अध्ययन का वर्ष	प्रतिदिन विद्यार्थी संपर्क के घंटे	प्रति सप्ताह विद्यार्थी संपर्क के घंटे	संपर्क के कुल घंटे
I	6.7	33.5	837.5
II	5.3	26.5	662.5
III	5.4	27.0	675.0
IV	5.8	29.0	725.0
योग	23.2	116.0	2900.0

विद्यार्थी संपर्क घंटों को संपर्क पीरियडों के रूप में पढ़ा जाए। एक पीरियड आमतौर पर 50 मिनट का होता है। औसत विद्यार्थी संपर्क घंटों की गणना प्रति सप्ताह पांच कार्य दिवस मानकर की गई है।

5. प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) कार्यक्रम का आयोजन

संस्थानों को व्यावसायिक कार्यक्रम से संबंधित निम्निलिखित विशेष मांगों को पूरा करना होगा:

- (क) प्रारंभिक शिक्षा स्नातक के विद्यार्थियों की संस्थानों के अन्य क्रियाकलापों में शैक्षणिक, साथ ही सह-पाठ्यचर्चा क्रियाकलापों में सम्मिलित करना होगा और उन्हें कंप्यूटर, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम) आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करने दिया जाएगा।
- (ख) संस्थानों के भीतर विभिन्न विभागों के बीच अंतःविषय क्षेत्रीय शैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना होगा।
- (ग) विद्यार्थियों तथा संकाय के लिए संगोष्ठियों, भाषणों तथा सामूहिक परिचर्चाएं आयोजित करके शिक्षा पर चर्चा की शुरुआत की जाएगी।
- (घ) कार्यक्रम संबंधी विशेष क्रियाकलापों के संचालन के लिए (अर्थात् रंगमंच, शिल्प, आत्मविकास कार्यशालाएं) विश्वविद्यालय/संस्थान के भीतर/बाहर उपलब्ध व्यावसायिक विशेषज्ञों से सहायता अवश्य ली जाएगी।

(ङ.) संस्थान को कम से कम छः प्रारंभिक विद्यालयों के समूह के बीच विचारों और क्रियाकलापों का आदान-प्रदान प्रारंभ करना और बनाए रखना आवश्यक है। ये विद्यालय अध्ययन कार्यक्रम की समूची अवधि में सभी अभ्यासक्रम क्रियाकलापों एवं उनसे संबंधित कार्य के लिए मूल संपर्क बिंदु बने रहेंगे।

(च) संस्थान को विद्यालयों के स्नातकों की नियुक्ति की दिशा में भी कदम उठाना होगा।

6. परीक्षा, मानक और परीक्षकों की योग्यताएं

संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त अध्यादेशों में निम्नलिखित को यथास्थान सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए, जो अपने सांविधिक निकायों के माध्यम से साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से जब भी उचित समझा जाए, इनकी समीक्षा के लिए प्रावधान बनाएंगे।

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष के अंत में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन आंतरिक रूप से हो सकता है।

(ग) सभी अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों तथा स्थानबद्ध कार्यक्रमों के संबंध में संस्थानों के बीच गुणवत्ता एवं समानता से संबंधित प्रश्नों पर निगरानी रखने का काम संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा गठित एक मॉडरेशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(घ) आंतरिक स्तर पर हुए मूल्यांकन के आधार पर सैद्धांतिक विषयों के सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों में 30 प्रतिशत की और अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों में 100 प्रतिशत की भारिता प्रदान की जाएगी।

(ङ.) प्रतिवर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र में कम से कम 40%, आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम 45%, अभ्यासक्रम में 50% और कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(च) केवल उन्हीं प्रत्याशियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जो आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगी।

(छ) यदि किसी प्रत्याशी ने कुल मिलाकर 50% से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, किंतु जो केवल एक विषय में अनुकूल है और उस विषय में यदि उसके अंक 25% से कम नहीं है, तो उसे अस्थायी रूप से आगामी वर्ष में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाएगी, किंतु शर्त यह है कि उसके लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार शुल्क की अदायगी करके आयोजित होने वाली सहायक (कंपार्टमेंटल) परीक्षा में बैठना आवश्यक होगा। यदि प्रत्याशी उस सहायक परीक्षा में अनुकूल रहता है या वह सहायक परीक्षा में उपस्थित नहीं होता/होती तो उसे पिछले वर्ष में वापस भेज दिया जाएगा।

(ज) परीक्षा के किसी भी विषय का परीक्षक होने के लिए परीक्षक के पास अपने अध्ययन के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन/व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए।

7. कर्मचारी वर्ग, उपकरण तथा प्रशिक्षण

(क) शैक्षणिक संकाय

- पूर्णकालिक संकाय-सदस्यों की संख्या	- 14
- संकाय-विद्यार्थी अनुपात	- 1:10
- विद्यार्थियों की संख्या	- $35 \times 4 = 140$
- अंशकालिक संकाय सदस्यों की संख्या	- 3

(ख) संस्थानों द्वारा संकाय-सदस्यों को शोधकार्य सहित व्यावसायिक अभ्यास संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) संस्थानों द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम में संकाय सदस्यों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(घ) प्रशासनिक स्टाफ

- पाठ्यचर्या प्रयोगशाला परिचर	: 1
- संसाधन प्रयोगशाला परिचर	: 1
- रटेनो टाइपिस्ट	: 2

(ङ) कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

सभी कर्मचारियों को पूर्णकालिक और नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा। सभी पदों के लिए चयन उपयुक्त रूप से गठित चयन समिति द्वारा ही किया जाएगा। अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा वि.वि.अ. आयोग/सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार रहेगा।

(च) संकाय सदस्यों का चयन

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों के पेसा शिक्षा* विषय में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री, अथवा शिक्षा* में शोधकार्य में डिग्री अथवा शिक्षा* के क्षेत्र में प्रमाणित अनुभव/शोधकार्य सहित बहुविधि विशेषज्ञताएं (तालिका 3 के विवरण के अनुसार) होनी चाहिए।

*अधिमानतः प्रारंभिक शिक्षा

तालिका 3 : प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों का अपेक्षित प्रोफाइल

विशेषज्ञता	पदों की संख्या	अनिवार्य अहंताएं	विशेष रूचि तथा प्रमाणित अनुभव	पढ़ाया जाने वाला प्रस्तावित प्रारंभिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम
मनोविज्ञान/बाल विकास	एक	एम.एम. मनोविज्ञान/अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान (बाल विकास में विशेषज्ञता सहित)/एम.एससी. बाल विकास तथा शिक्षा में शोध कार्य में डिग्री	बच्चों के साथ कार्य/बच्चे किस तरह सीखते हैं इन प्रश्नों पर बच्चों के साथ रहकर किया गया कार्य।	बाल विकास संज्ञान तथा सीखना संबंधित शिक्षण-अभ्यास
	तथा			

	एक	एम.ए. मनोविज्ञान/अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान/(नैदानिक मनोविज्ञान/ काउंसलिंग में विशेषज्ञता सहित) सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री/एमएसडब्ल्यू (व्यक्तित्व विकास तथा काउंसलिंग में विशेषज्ञता सहित) तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में शोध कार्य	नैदानिक मनोविज्ञान/ काउंसलिंग	संबंधित अभ्यासक्रम मानव संबंध/और संप्रेषण संबंधित अभ्यासक्रम
गणित	एक	एम.एम. गणित/एम.एसरी. गणित तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री	रचनात्मक अध्यापन पद्धति	कोर गणित तर्कपरक गणित शिक्षा विद्यालय संपर्क गणित शिक्षाशास्त्र
विज्ञान जीव-विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान	एक तथा एक	एम.एएसम. जीवविज्ञान तथा शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री एम.एसरी. भौतिक विज्ञान तथा शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री	शिक्षा ग्रहण मनोविज्ञान, पाठ्यचर्यात्मक मुद्दे विज्ञान शिक्षण -वही-	कोर प्राकृतिक विज्ञान पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र विद्यालय संपर्क प्राकृतिक विज्ञान का शिक्षाशास्त्र
सामाजिक विज्ञान	एक तथा एक	एम.ए. राजनीतिशास्त्र (विकासोन्मुखी अध्ययन/ राजनैतिक अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञता सहित)/एम.ए. समाजशास्त्र, (विकासोन्मुखी अध्ययन/राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणालियों में विशेषज्ञता सहित)/ एम.ए. इतिहास (सामाजिक विज्ञान के दर्शनशास्त्र के विशेषज्ञता सहित) तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में शोध कार्य एम.ए. सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री	समकालीन भारतीय मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणात्मक शिक्षा के बहुविषय क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यों के समेकित अनुप्रयोग	कोर सामाजिक विज्ञान समकालीन भारतवर्ष
भाषा विज्ञान	एक	एम.ए. भाषा विज्ञान/भाषा विज्ञान में डिप्लोमा सहित इन.ए. अंग्रेजी/ हिंदी भाषा विज्ञान में डिप्लोमा सहित तथा बच्चों में भाषा विकास विषय पर शोधकार्य/शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा पर	बच्चों में भाषा विकास, रचनात्मक भाषा अध्यापन	भाषा का रूपरूप भाषा अर्जन

		शोध कार्य		
भाषा : हिंदी अथवा अंग्रेजी	एक	अंग्रेजी/हिंदी में एम.ए. साथ ही, शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री	पाठ्यचर्या सामग्री का विकास; नवीन विधियों से भाषा-शिक्षण, भाषा का शिक्षाशास्त्र	समूची पाठ्यचर्या में भाषा संबंधित अभ्यासक्रम भाषा का शिक्षाशास्त्र
शिक्षा	एक तथा एक	दर्शनशास्त्र में एम.ए. तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में व्यावसायिक डिग्री सामाजिक विज्ञान में एम.ए. विज्ञान में एम.एससी. तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री	शिक्षा-सिद्धांत, दर्शन तथा नीति पाठ्यचर्या विषयक मुद्दे, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का परिप्रेक्ष्य	शिक्षा में मूल अवधारणाएं बाल विकास पाठ्यचर्या अध्ययन अन्य पाठ्यक्रमों की संगत इकाइयां विद्यालय आयोजना तथा प्रबंध
उदार विकल्प (कम से कम 4)	तीन*	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री	अंतर-विषयक परिप्रेक्ष्य.	लिए गए उदार विकल्प
अंशकालिक संकाय रंगमंच	तीन**	संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा प्रमाणित अनुभव शिक्षा में रंगमंच	शिक्षा में आत्मविकास के लिए रंगमंच के उपयोग की क्षमता	निष्पादन तथा ललित कलाएं
शिल्प आत्म-विकास शारीरिक शिक्षा		शिल्प-निर्माण/प्रशिक्षण त्रैदानिक/काउंसलिंग अभ्यास/सामूहिक प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण एवं अभ्यास	शिल्प निर्माण में कुशलता तथा दूसरे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता वैयक्तिक विकास/काउंसलिंग में कार्यशालाएं संचालित करने की क्षमता शिक्षा के साथ शारीरिक संचलन के विभिन्न रूपों का समेकन करने की क्षमता	शिल्प, सहभागितापूर्ण कार्य आत्म-विकास कार्यशालाएं शारीरिक शिक्षा

* ये सेवाएं संस्थान के किसी सहयोगी विभाग से ली जाएंगी।

** एक पूर्णकालिक संकाय के बराबर (ये विशेष योग्यताप्राप्त संसाधन व्यक्ति होंगे जो संस्थान के बाहर रहकर अपनी सेवाएं देंगे)।

8. अन्य सुविधाएं

संस्थान को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी होंगी:

भौतिक सुविधाएं

प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान में जिन भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी होगी उन्हें निम्नानुसार घोषीकृत किया जा सकता है। (i) शैक्षणिक क्षेत्र, (ii) प्रशासनिक क्षेत्र तथा (iii) सुविधा क्षेत्र।

- शैक्षणिक क्षेत्र में कक्षाओं के कमरे, पाठ्यचर्चाय प्रयोगशाला, संसाधन प्रयोगशाला, सम्मेलन कक्ष, कार्यशाला, प्रेक्षागृह, कंप्यूटर कक्ष तथा पुस्तकालय होंगे।
- प्रशासनिक क्षेत्र में प्रिसीपल का कमरा, संकाय के लिए कमरे, केंद्रीय कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, अभिलेखागार, कंप्यूटर कक्ष तथा स्वागत कक्ष होंगे।
- सुविधा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए कामन रूम, स्टाफ रूम, हाल, खेलकूद/मनोरंजन केंद्र, जलपानगृह, सहकारी भंडार, औषधालय तथा सुरक्षा सेवाएं शामिल होंगी।

9. स्थान के लिए मानदंड

जहां अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था किसी ऐसे विभाग/महाविद्यालय के माध्यम से की जाती है जो कि किसी ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान का एक अभिन्न अंग है जिसमें अनेक संकाय और अध्ययन के विभाग हैं, वहां केंद्र में उपलब्ध सभी केंद्रीय सुविधाओं का उपयोग प्रारंभिक शिक्षा विभाग और अन्य विभाग मिलकर करेंगे। जहां तक प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं का प्रश्न है, उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी ताकि प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.ई.एल.ई.डी.) पाठ्यक्रम के विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पुस्तकालय के अतिरिक्त स्वयं विभाग का अलग से एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जाना चाहिए जिससे प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शिक्षाशास्त्र-आधारित अभ्यासक्रम तथा अन्य विद्यालय संपर्क कार्यक्रमों के लिए आवश्यक अन्य उपकरणों के साथ ही संसाधन प्रयोगशाला में पढ़ने की पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध रहनी चाहिए। प्रेक्षागृह, हाल, सम्मेलन कक्ष आदि जैसी सुविधाओं का उपयोग अन्य विभागों के साथ मिलकर किया जा सकता है।

10. प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के विद्यार्थियों के लिए विशेष आधारिक सुविधाएं

(क) पाठ्यचर्चा प्रयोगशाला : एक

पाठ्यचर्चा प्रयोगशाला वह प्रयोगशाला होगी, जहां व्यवहारिक अनुभव ग्रहण करने के क्रियाकलाप आयोजित किए जाएंगे। इस प्रयोगशाला का उपयोग पहले वर्ष के पाठ्यक्रमों जैसे कि शिल्प, कोर गणित, कोर विज्ञान तथा आंशिक रूप से कोर सामाजिक विज्ञान तथा तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम में तर्कपरक गणित शिक्षा, पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र तथा सामग्री-विकास संबंधी अभ्यासक्रम के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

प्रयोगशाला में विज्ञान तथा गणित में प्रयोग में आने वाली सामग्री तथा साज-सामान जैसे कि उपस्कर, रसायन, किटें, नक्शे, ग्लोब, उपकरण तथा हथौड़ी, प्लास, कैंची और तार जैसे औजार उपलब्ध रहने चाहिए। छोटे-छोटे समूहों में काम करने के प्रयोग में आने वाली मेजें भी रहनी चाहिए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जिसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके ताकि फर्श पर काम करने की जगह भी मिल सके। प्रयोगशाला में एक ओवरहैड प्रोजेक्टर के प्रयोग, सूचनापट्ट तथा कक्षाएं चलाने के बास्ते ब्लैकबोर्ड के लिए भी स्थान रहना चाहिए।

(ख) संसाधन प्रयोगशाला : एक

संसाधन प्रयोगशाला का प्रयोग एक प्रयोगशाला-एवं-विभागीय पुस्तकालय के रूप में किया जाएगा। इसमें एक भंडार कक्ष रहना चाहिए, साथ ही पढ़ने के लिए पुस्तकें, पाठ्यचर्चा

सामग्री, बाल साहित्य, पाठ्यपुस्तकों, रिपोर्ट तथा दस्तावेज उपलब्ध रहने चाहिए। यह सामग्री वह होगी, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) से संबंधित पाठ्यक्रमों में होता है। इन सभी वस्तुओं की संख्या इतनी रहनी चाहिए जिससे इनका उपयोग विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी कर सकें। संसाधन प्रयोगशाला में संकाय तथा विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए एक कंप्यूटर सुविधा भी सुलभ होनी चाहिए। प्रयोगशाला में स्थान भी काफी रहना चाहिए जिससे इसका इस्तेमाल विद्यार्थियों की बैठकों, कक्षाओं तथा सामूहिक परिचर्चा एवं पढ़ने के लिए भी किया जा सके।

(ग) कार्यशाला के लिए स्थान : दो

संस्थान को रंगमंच कार्यशालाओं, आत्म-विकास *कार्यशालाओं तथा शारीरिक शिक्षा कार्यशालाओं जैसी गतिविधियों का आयोजन करने के लिए अलग से स्थान की व्यवस्था करनी होगी। यह स्थान इतना होना चाहिए कि उसमें 35-40 विद्यार्थियों के बैच के लिए आसानी से आने-जाने की जगह रहे।

11. शुल्क संरचना एवं छात्रवृत्तियां

अनिवार्य

शुल्क की संरचना राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार होनी चाहिए। किंतु किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों से लिया गया शुल्क और दूसरे खर्च की कुल राशि संस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी पर हुए आवर्ती खर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वांछनीय

गरीब वर्ग के योग्य विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त निःशुल्क शिक्षावत्ति दी जा सकती है। योग्यता के आधार पर कुछ छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान भी रहना चाहिए।

कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

सभी कर्मचारियों की नियुक्तियां पूर्णकालिक एवं नियमित आधार पर होनी चाहिए। सभी पदों के लिए चयन उचित रूप से गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा वि.वि.अ. आयोग/सरकार के मानदंडों के अनुसार रहेगा।

चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (बी.एल.एड.) की योजना

अनुबंध ‘ए’

इस पाठ्यक्रम में छात्रों को +2 के बाद प्रवेश दिया जाएगा।

सिद्धांत			अभ्यासक्रम			गोष्ठीक्रम/परियोजना			संवर्द्धन		
	परीक्षा अवधि	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रथम वर्ष											
एक 1.1 बाल विकास	3	100	पीआर 1.1 फारमेटिंग तथा लिलित कलाएं	4	75						
एक 1.2 समकालीन भारत	3	100									
सी-1.1 भाषा का स्वरूप	2	50	पीआर 1.2 शिल्प	3	25	गोष्ठीक्रम ट्यूटोरियल	1	50	शैक्षणिक संवर्द्धन	1	

			सहभागितापूर्ण कार्य						क्रियाकलाप		
सी-1.2 कोर गणित	2	50									
सी-1.3 कोर प्राकृतिक विज्ञान	2	50									
सी-1.4 कोर सामाजिक विज्ञान	2	50									
		400		7	100			1	50	1	550
द्वितीय वर्ष											
एफ-2.3 संज्ञान और सीखना	3	100	पीआर 2.3 बाल अवलोकन	2	75						
एफ-2.4 भाषा अर्जन	2	50									
एफ-2.5 मानव संबंध एवं संप्रेषण	2	50									
पी 2.1 समूची पाठ्यर्थी में भाषा	2	50	पीआर 2.4 आत्म विकास कार्यशाला	3	50	कोलोकिया ट्यूटोरियल	1	50	शैक्षणिक संवर्द्धन क्रियाकलाप		
			पीआर 2.5 शारीरिक शिक्षा	2	25						
उदार पाठ्यक्रम (वैकल्पिक 1)	3	100									
02.1 अंग्रेजी-1											
02.2 हिंदी-1											
02.3 गणित-1											
02.4 भौतिक विज्ञान-1											
02.5 रसायन विज्ञान-1											
02.6 जीवविज्ञान-1											
02.7 इतिहास-1											
02.8 राजनीतिशास्त्र-1											
02.9 भूगोल-1											
02.10 अर्थगतरत्न-1		350		7	150			1	50		550

एफः आधारिक पाठ्यक्रम; सीः कोर पाठ्यक्रम; पीः शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम; ओः वैकल्पिक उदार पाठ्यक्रम; ओ.पी.ः वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम; ओ.एल.ः वैकल्पिक पाठ्यक्रम; पीआरः अंग्रेजीक्रम; एससीः विद्यालय संपर्क कार्यक्रम; एसआईः विद्यालय में रथानबद्ध अध्यापन।

पाठ्यक्रम के नाम के अक्षरों (एफ, सी, पी, आदि) के तुरंत बाद दी गई संख्या कार्यक्रम के उस वर्ष की परिचायक है जिसमें पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है। दूसरी संख्या विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम के क्रमांक की परिचायक है। उदाहरण के लिए एफ 2.5 से यह पता चलता है कि मानव संबंध एवं संप्रेषण 5वां आधारिक पाठ्यक्रम है जिसे कार्यक्रम के अध्ययन काल के दूसरे वर्ष में पढ़ाया जाना है।

**शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.) से संबंधित माध्यमिक अध्यापक शिक्षा
कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक**

1.0 प्रस्तावना

माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक तत्परता पाठ्यक्रम जिसे आमतौर पर बी.एड. के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जो कि उच्च प्राथमिक/मिडिल (कक्षाएं VI-VIII), माध्यमिक (कक्षाएं IX-X) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षाएं XI-XII) स्तरों के लिए अध्यापक तैयार करता है।

2.0 अवधि और कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

बी.एड. कार्यक्रम की अवधि कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

(क) परीक्षा और प्रवेश आदि की अवधि के अलावा कम से कम 180 कार्यकारी दिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 10 स्कूलों में अभ्यास-अध्यापन के लिए होंगे।

(ख) छ: दिवसीय सप्ताह में एक कार्य दिवस कम से कम छः घंटे का होगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और छात्र-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी है ताकि जब कभी आवश्यक हो, वैयक्तिक सलाह, मार्गदर्शन, संवाद और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और प्रवेश क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

सहभागितापूर्ण शिक्षण और अधिगम को सुकर बनाने के लिए 100 छात्रों का एक यूनिट होगा जिसे सामान्य सत्रों के लिए 50-50 के दो सेक्शनों में बाट दिया जाएगा और कार्यक्रम के पद्धति पाठ्यक्रमों तथा अन्य प्रायोगिक क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक स्कूल विषय के निमित्त प्रति अध्यापक अधिक से अधिक 25 छात्र होंगे।

3.2 पात्रता

3.2.1 कार्यक्रम में दाखिले के लिए स्नातक की डिग्री तथा/अथवा एम.ए. की डिग्री अथवा उसके समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

3.2.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन तथा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1क (i) संख्या (100 छात्रों की एक बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रिंसीपल/अध्यक्ष	- 1
लेक्चरर	- 7

4.1क (ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्र 100 के गुणकों में होंगे और पूर्णकालिक अध्यापक शिक्षकों की संख्या में, मूल यूनिट में प्रत्येक वृद्धि के साथ सात की वृद्धि कर दी जाएगी। तथापि, प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में एक बुनियादी यूनिट की वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

4.1क(iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी ताकि सभी आधारिक और प्रविधि पाठ्यक्रम अर्थात् कला, विज्ञान और वाणिज्य धारा पढ़ाने के लिए विशेषज्ञता सुनिश्चित की जा सके।

4.1.ख. अर्हताएं

(i) प्रिंसीपल/अध्यक्ष (बहु-संकाय संस्थान में)

- (क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।
- (ख) माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पणी: पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल-अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपर्युक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों/अध्यक्ष को, एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए, जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

(ii) लेक्चररः

एम.एड. सहित मार्स्टर डिग्री

अथवा

बी.एड. सहित मार्स्टर डिग्री (55% अंकों सहित)

टिप्पणी:

(i) पी.एचडी./एम.फिल (अधिमानतः शिक्षा/शैक्षिक आयोजना तथा प्रबंध में पी.एचडी.) को विशेष भारिता दी जाएगी।

(ii) दो वर्षीय बी.एड. डिग्रीधारक उम्मीदवारों को विशेष भारिता दी जाएगी।

4.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पूर्णकालिक अध्यापक

(i) कला शिक्षा

(ii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा

(iii) कार्य अनुभव

(iv) आईसीटी

(v) पुस्तकालयाध्यक्ष

(vi) तकनीकी सहायक

अपर्याप्त काम होने की स्थिति में इन पदों पर अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की जा सकती है।

- पूर्णकालिक

- पूर्णकालिक

(ख) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) कार्यालय-एवं-लेखा सहायक - 1 (नियमित)

(ii) कार्यालय सहायक-एवं टंकक - 1 (नियमित)

(iii) स्टोर-कीपर - 1 (नियमित)

(iv) परिचर/सहायक/सहयोगी स्टाफ - 2 (नियमित)

(ख) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.4 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

- (ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।
- (ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएंगी।
- (घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।
- (ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।
- (च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

5.1.1 संस्थान के पास कम से कम 2500 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से क्लासरूमों आदि सहित कम से कम 1500 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए।

बी.एड. कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

केवल बी.एड.	- 1500 वर्गमीटर
बी.एड. तथा एम.एड.	- 2000 वर्गमीटर
बी.एड. तथा डी.एड.	- 2500 वर्गमीटर
बी.एड. तथा डी.एड. तथा एम.एड.	- 3000 वर्गमीटर

5.1.2 दाखिल किए जाने वाले 100 छात्रों की अनुमोदित संख्या के लिए कम से कम दो क्लासरूमों, एक बहुदेशीय हाल, अनुदेशात्मक क्रियाकलाप करने के लिए तीन प्रयोगशालाओं, संगोष्ठी/ट्यूटोरियल कक्षों, विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक संसाधन कक्ष, प्रिंसिपल, संकाय सदस्यों, कार्यालय और प्रशासनिक स्टाफ के लिए अलग-अलग कमरों और एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कमरे में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट स्थान

होना चाहिए। एक क्लासरूम में 50 छात्र-अध्यापकों के आराम से बैठने की व्यवस्था होने चाहिए। बहुदेशीय हाल में 150 व्यक्तियों को बैठने की सुविधा होनी चाहिए। दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए क्लासरूमों, ट्यूटोरियल कक्षों आदि की संख्या में तदनुरूपी वृद्धि की जाएगी।

- 5.1.3 खेल के मैदान सहित खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विकल्प के रूप में संबद्ध स्कूल/कालेज के खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और जहां महानगरों/पहाड़ी क्षेत्रों में रथान की कमी हो वहां योग, छोटे मैदान तथा इंडोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- 5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।
- 5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधामुक्त होने चाहिए।
- 5.1.6 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय कर्वाटर बांधनीय हैं।

5.2 शिक्षणात्मक

- (क) संस्थान के पास छात्र-अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अन्यास-शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के निमित्त समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूल सुलभ होने चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जाएगी। बेहतर होगा यदि संस्थान के पास उसके नियंत्रण में एक संबद्ध स्कूल मौजूद हो।
- (ख) कम से कम 25% छात्रों के बैठने की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय-एवं-वाचनालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए 1000 टाइटल तथा संगत पाठ्य तथा संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, अद्वकोशों, इलेक्ट्रिक प्रकाशनों (सीडी रोम) सहित कम से कम 3000 पुस्तक और अध्यापक शिक्षा की कम से कम पांच पत्रिकाएं तथा संबद्ध विषयों में अन्य पांच पत्रिकाएं मगाएंगे। पुस्तकालय के संग्रह में प्रति वर्ष 200 पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (ग) संस्थान में एक विज्ञान प्रयोगशाला होगी। इस प्रयोगशाला में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोग करने और उनका निर्दर्शन करने के लिए आवश्यक विज्ञान उपकरणों के एकाधिक सेट उपलब्ध होंगे। समुचित मात्रा में (रसायन आदि) उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (घ) संस्थान में शैक्षिक मनोविज्ञान से जुड़े साधारण प्रयोग करने के लिए उपकरण सहित एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होगी।

- (द.) भाषा सीखने के लिए हार्डवेयर और सफ्टवेयर सुविधाएं रहेंगे।
- (च) कंप्यूटरों, टीवी, कैमरा सहित हार्डवेयर और सफ्टवेयर से युक्त शैक्षिक प्रौद्योगिकी सुविधाएं होंगी।
- (छ) बेहतर हो कि रोट (रिसीब्ड ओनली टर्मिनल) सिट (सैटेलाइट इंटरलिंकिंग टर्मिनल) आदि जैसे आईसीटी उपकरण उपलब्ध रहें।
- (ज) एक पूर्णतः सुसज्जित कार्य-अनुभव कक्ष होगा।

5.3 साधन

- 5.3.1** शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी।
- 5.3.2** संरथान द्वारा पुरुष/महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूप उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 5.3.3** स्टाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में पुरुष और महिला शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 5.3.4** वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।
- 5.3.5** संरथान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5.3.6** परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6.0 पाठ्यचर्चा संचालन

- (क) प्रत्येक छात्र द्वारा किया जाने वाला प्रायोगिक कार्य

	मद	अनिवार्य (संख्या)
(क)	पाठ आयोजना और वार्तविक स्कूल स्थितियों में पढ़ाना	40 (चालीस)
(ख)	साथी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठों का अवलोकन	20 (बीस)
(ग)	निर्दर्शन पाठों का अवलोकन	2
(घ)	राज्य/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित नमूने के अनुसार प्रत्येक पद्धति विषय में परीक्षण मंदों/यूनिट परीक्षण तथा परीक्षा प्रश्न-पत्र तैयार करना	1
(ड.)	ट्यूटोरियल निबंध	3
(च)	अध्यापन सहायक-सामग्री का निर्माण	2
(बी)	अभ्यास पाठ का पर्यवेक्षण	
	निर्धारित अभ्यास शिक्षण पाठों में से कम से कम 50 प्रतिशत पाठ अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षित किए जाएंगे और प्रशिक्षणार्थियों को मौखिक फीडबैक और साथ ही लिखित रूप में टिप्पणियां उपलब्ध कराई जाएंगी। पाठ आयोजन, अध्यापन और पर्यवेक्षण का रिकार्ड रखा जाएगा।	

7.0 सामान्य /

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही अथवा निकटरथ भवन में अध्यापक शिक्षा में एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुदेशीय हाल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान संबंधी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है।

परिशिष्ट - 5

एम.एड. (मास्टर ऑफ एजूकेशन) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

1.1.1 शिक्षा में मास्टर (एम.एड.) कार्यक्रम जोकि सामान्य अथवा विशेषज्ञतापूर्ण हो सकता है, ऐसे छात्रों के लिए है जो कि पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा में किसी स्नातकोत्तर कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छुक हैं तथा यह कार्यक्रम अध्यापक प्रशिक्षकों, शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं, पाठ्यचर्चा निर्माताओं, पाठ्यपुस्तक लेखकों, मूल्यांकन विशेषज्ञों, मार्गदर्शन और परामर्श विशेषज्ञों आदि का एक व्यावसायिक संवर्ग तैयार करने के लिए भी हैं।

1.1.2 एम.एड. कार्यक्रम में शिक्षा के विषय-क्षेत्र में विशेषज्ञतापूर्ण पाठ्यक्रमों तथा संबंधित व्यावहारिक/क्षेत्रीय कार्य सहित सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और साथ ही अध्यापक शिक्षा संस्थान से परिचय और उसमें प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके अतिरिक्त शोध प्रबंध के रूप में अनुसंधान कार्य इस कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग होगा। वार्तविक डिजाइन और घोषित लक्ष्यों के आधार पर यह कार्यक्रम छात्रों को शिक्षा के अपने ज्ञान और बोध का विस्तार करने और उसमें गहराई लाने, अध्यापक शिक्षा सहित चुनिदा क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने और अनुसंधान संबंधी कौशल प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान करता है।

1.1.3 ऐसे विश्वविद्यालय विभागों को छोड़कर जोकि सीधे ही बी.एड. पाठ्यक्रम न चला रहे हों, केवल वही संस्थान एम.एड. पाठ्यक्रम चलाने के पात्र हैं जोकि बी.एड. कार्यक्रम चला रहे हों।

2.0 अवधि और कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

एम.एड. कार्यक्रम एक शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होगा।

2.2 कार्यकारी दिवस

(क) परीक्षा और दाखिले की अवधियों को छोड़कर नितांततः अनुदेशान, शोध प्रबंध के निमित्त क्षेत्रीय कार्य और अध्यापक शिक्षा संस्थान में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए कम-से-कम 180 कार्यदिवस होंगे।

(ख) दिन के सप्ताह में एक कार्यकारी दिवस कम-से-कम छह घंटे का होगा जिसके दौरान वैयक्तिक ध्यान, मार्गदर्शन, सलाह और परामर्श सुनिश्चित करने के लिए सभी अध्यापकों और छात्रों की वार्तविक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और प्रवेश क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

- (क) बुनियादी यूनिट 25 छात्रों की होगी।
- (ख) ऐसे प्रमाणित संस्थानों में, जहां भौतिक और मानवीय—दोनों प्रकार के आधारिक तंत्र का स्तर उन्नत कोटि का है और जिसका सत्यापन किया जा सकता है कुल मिलाकर 50 छात्रों तक का दाखिला मंजूर किया जा सकता है।

3.2 पात्रता

- (क) बी.एड. में कम-से-कम 55 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।
- (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

अहंक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन तथा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता-क्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ़

4.1 शैक्षणिक

4.1 क (i) संख्या (25 छात्रों के बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष - एक

रीडर - एक

लेक्चरर - तीन

4.1 क (ii) अतिरिक्त यूनिट के दाखिल किए जाने पर संकाय की स्थिति में ऊपर बताए गए अनुपात के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

4.1 ख अहंताएं

प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष

(i) स्नातकोत्तर रत्तर पर अध्यापक शिक्षा संस्थान में 10 वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे यथानिर्धारित अहंताएं।

टिप्पणी: पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल-अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पृष्ठ और उपयुक्त उम्मीदवार

उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों/अध्यक्ष को, एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए, जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

रीडर

- (i) अध्यापक शिक्षा संस्थान में स्नातकोत्तर रत्तर पर पांच वर्ष के तथा स्नातक स्तर पर दस वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे यथानिर्धारित अर्हताएँ।

लेक्चरर

- (i) कम से कम 50% अंकों सहित मास्टर डिग्री तथा एम.एड.
- (ii) किसी भी विषय में पीएच.डी. (शिक्षा/शैक्षिक आयोजना लक्ष्य प्रबंध पीएच.डी. को विशेष भारिता दी जाएगी)।

4.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(i) संख्या

विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार।

4.3 प्रशासनिक स्टाफ

(i) संख्या

विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार।

4.4 सेवा की शर्तें और उपबंध

- (क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
- (ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।
- (ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।
- (घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

- (ङ.) अपने कर्मचारियों की पेशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।
- (च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

- 5.1.1** संस्थान के पास कम-से-कम 2500 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से क्लास-रूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम-से-कम 2000 वर्ग मीटर होना चाहिए जिसमें बी.एड. कक्षाओं के लिए रथान शामिल होगा। प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट रथान होना चाहिए।
- एम.एड. कार्यक्रम के साथ अन्य कार्यक्रम चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

एम.एड. तथा बी.एड.	- 2000 वर्गमीटर
एम.एड. तथा बी.एड. तथा डी.एड.	- 3000 वर्गमीटर

- 5.1.2** दाखिल किए जाने वाले 25 छात्रों के लिए अनुदेशात्मक क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए कम-से-कम एक क्लासरूम, एक हॉल/संगोष्ठी कक्ष, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होगी, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कक्ष होंगे जिनमें सात से आठ छात्रों के बैठने की व्यवस्था हो, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय और एक रसोर की व्यवस्था होगी।

- 5.1.3** भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षापाय होने चाहिए।

- 5.1.4** संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधामुक्त होने चाहिए।

- 5.1.5** लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर बांचनीय है।

5.2 शिक्षणात्मक

- (क) कम-से-कम 10 छात्रों के बैठने की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय-एवं-वाचनालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए संगत पाठ्य तथा संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) सहित कम-से-कम 2000 पुस्तकें और कम-से-कम पांच व्यावसायिक

अनुसंधान पत्रिकाएं तथा इंटरनेट संयोज्यता की व्यवस्था होगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रतिवर्ष कम-से-कम 100 उत्कृष्ट पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्र-अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकॉपी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

- (ख) प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण तथा साफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर तथा टी.वी., कैमरा सहित एक सुसज्जित शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा मीडिया प्रयोगशाला होगी।
- (ग) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए और अध्यापक शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करने के वास्ते, रैट (रिसीवर ऑनली टर्मिनल) सिट (सैटेलाइट इंटरलिंकिंग टर्मिनल) आदि जैसे आईसीटी उपकरण वांछनीय होंगे।
- (घ) एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यचर्या में सूचीबद्ध प्रयोग करने के लिए उपकरण होंगे।

5.3 साधन

- 5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी जिसमें छात्रों और अध्यापकों के लिए क्लासरूमों, हालों, प्रयोगशालाओं में डैर्स्क, कुर्सियां और मेजें, बुक शैल्फ शामिल होंगे।
- 5.3.2 संस्थान पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम उपलब्ध कराएगा।
- 5.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में अलग-अलग पुरुष और महिला शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 5.3.4 संस्थान में सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5.3.5 कैन्टीन, टेलीफोन सुविधा, वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।
- 5.3.6 परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6.0 पाठ्यचर्या संचालन

- (i) शोध-प्रबंध तथा रकूल में स्थानबद्ध प्रशिक्षण एक अनिवार्य घटक होगा।
- (ii) प्रत्येक एम.एड. छात्र को, क्लासरूम अभ्यास अधिगम सत्रों के अवलोकन के लिए बी.एड. छात्रों के स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा।
- (iii) एक अध्यापक प्रशिक्षक के साथ अधिक से अधिक सात प्रशिक्षणार्थी संबद्ध किए जाएंगे।

- (iv) प्रत्येक एम.एड. छात्र को एक अनिवार्य अनुसंधान प्रविधि पाठ्यक्रम के रूप में एक अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना होगा और आम्यासक्रम के अधीन औपचारिक मंजूरी के लिए उसे वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

7.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही अथवा निकटस्थ भवन में अध्यापक शिक्षा में एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुदेशीय हाल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान संबंधी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है।

परिशिष्ट - 6

एम.एड. (मार्स्टर ऑफ एजूकेशन) (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

- (क) शिक्षा में मार्स्टर कार्यक्रम (एम.एड.) (अंशकालिक) एक ऐसा सेवाकालीन व्यावसायिक कार्यक्रम है जोकि प्रशासन, अनुसंधान, पाठ्यचर्या सामग्री विकास, नीति निर्माण, अध्यापक शिक्षा आदि से जुड़े हुए सेवारत अध्यापकों और शैक्षिक अधिकारियों के लिए उपलब्ध है।
- (ख) केवल विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग और शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएएसई) तथा सीटीई जोकि एम.एड. आमने-सामने कार्यक्रम चलाते हैं, एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम चलाने के पात्र हैं।

2.0 अवधि और कार्यकारी दिवस

- (क) एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी और प्रत्येक वर्ष में छह दिन के सप्ताह में प्रतिदिन तीन घंटे के कार्यदिवस सहित 180 दिन होंगे।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या और प्रात्रता

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

एक वर्ष में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। बुनियादी यूनिट 25 छात्रों का होगा।

3.2 प्रात्रता

अध्यापक तथा शैक्षिक प्रशासक और ऐसे अन्य अधिकारी जो प्रशासन, अनुसंधान, पाठ्यचर्या सामग्री विकास, नीति निर्माण, अध्यापक शिक्षा आदि के साथ जुड़े हैं और जिन्होंने कम से कम दो वर्षों की सेवा पूरी कर ली है दाखिले के लिए पात्र हैं।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

बी.एड. तथा/अथवा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार।

4.0 स्टाफ़

5.0 आधारिक सुविधाएं

इन पक्षों के संबंध में पूर्णकालिक एम.एड. कार्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंड आवश्यक संशोधनों सहित एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए भी लागू होंगे।

परिशिष्ट - 7

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सीपीएड) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सीपीएड) कार्यक्रम प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) के लिए शारीरिक शिक्षा में अध्यापक तैयार करने के लिए है।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्षों की होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोड़ कर कम से कम 180 कार्यकारी दिवस होंगे, छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस छः घण्टे का होगा।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) प्रति वर्ष 50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

3.2 पात्रता

(क) उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाले तथा जिन छात्रों ने कम से कम स्कूल/कालेज जिला स्तर पर खेलकूद/खेलों में भाग लिया है, वे दाखिले के पात्र हैं।

(ख) राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूदों/खेलों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त भारिता प्रदान की जाएगी।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

दाखिले प्रवेश परीक्षा (लिखित परीक्षा, खेलकूद दक्षता परीक्षा, शारीरिक स्वरूपता परीक्षा, इंटरव्यू तथा अंहक परीक्षा में प्राप्त अंक) में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा योग्यताक्रम के अनुसार राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी।

4.0 स्टाफ**4.1 शैक्षणिक****4.1.1 (क) (i) संख्या**

50 अथवा इससे कम छात्रों (दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 100 अथवा इससे कम की संयुक्त क्षमता) के लिए

प्रिंसीपल/अध्यक्ष	1
लेक्चरर	5

4.1.1 (क) (ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्र 50 छात्रों के गुणकों में होंगे, पूर्णकांगिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए चार की वृद्धि कर दी जाएगी (अध्यापक छात्र अनुपात - 1:12)। तथापि, प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में एक बुनियादी यूनिट की वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

4.1.1 (क) (iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार बांटी जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों, खेलों और कौशलों के शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रकृति और स्तर की विशेषज्ञता सुनिश्चित हो सके।

4.1.1 (ख) अहंताएं**प्रिंसीपल:**

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अहंताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) किसी शारीरिक शिक्षा संस्थान में पढ़ाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

अध्यक्ष:

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अहंताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित है।
- (ii) किसी शारीरिक शिक्षा संस्थान में पढ़ाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

लेक्चरर:

एम.पी.एड.

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त प्रारंभिक रसूल में रसूल स्तर पर शारीरिक शिक्षक अथवा किसी अन्य पदनाम के तीन वर्ष के अनुभव सहित बी.पी.एड.

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल में स्कूल रत्तर पर शारीरिक शिक्षक अथवा किसी अन्य पदनाम के पांच वर्ष के अनुभव सहित सी.पी.एड।

4.1.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पुस्तकालयाध्यक्ष	-	एक (नियमित)
जिन विशेषज्ञताओं की पेशकश की जा रही है, उनके लिए कोच	-	आवश्यकता के अनुसार संख्या में (अंशकालिक)
चिकित्सा अधिकारी	-	अंशकालिक (एक)
ग्राउंडमेन/मार्कर/सहायक	-	नियमित (दो)
एसेंबिक अध्यापक	-	अंशकालिक
संगीत	-	अंशकालिक
आईसीटी	-	अंशकालिक

(ख) अहंताएँ: संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.1.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) कार्यालय-एवं-लेखा-सहायक	-	1 (नियमित)
(ii) कार्यालय सहायक-एवं-टंकक	-	1 (नियमित)
(iii) रटोर कीपर	-	1 (नियमित)
(iv) सहायक/परिचर	-	2 (नियमित),
(v) तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)	-	1 (नियमित)

(ख) अहंताएँ:

राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.2.1 सेवा की शर्तें और उपबंध

- (क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
- (ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट कों छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।
- (ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार/बोर्ड के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

- (घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार/बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।
- (ड.) अपने कर्मचारियों की पेशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।
- (च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य घिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

- 5.1.1 संस्थान में दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक यूनिट के लिए दो क्लासरूमों, एक बहुदेशीय हाल, एक बहुदेशीय प्रयोगशाला, संगोष्ठी/ट्यूटरियल कक्षों, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय जैसे प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट रखान होना चाहिए। बहुदेशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।
- 5.1.2 बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुदेशीय मैदान, 200 मीटर लम्बा ट्रैक तथा व्यायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ खुले स्थान की उपलब्धता दुष्कर होती है, अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।
- 5.1.3 ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय प्रबंधक वर्ग/संस्थान के अधिकार में संगत विनियमों के अनुसार या तो सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अथवा पट्टे पर कम से कम 5 एकड़ भूमि/भूमि और भवन होने चाहिए।
- 5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।
- 5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के लिए अनुकूल होने चाहिए।
- 5.1.6 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

5.2 शिक्षणात्मक

5.2.1 संस्थान के पास कम से कम 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विरतार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल तथा खेलकूद के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र 12000 वर्गफुट से कम नहीं होगा। यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में भी, जहां कुल भूमि अपेक्षित 5 एकड़ से कम हो सकती है सुनिश्चित की जाएगी।

टिप्पणी: मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को आधारिकतंत्रीय जरूरतों की पूर्ति के लिए 1 अप्रैल, 2010 से पहले स्तरोन्नयन करना होगा।

5.2.2 अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम 2000 पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर कम से कम पांच पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय में संकाय और छात्र अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होगी।

5.2.3. प्रयोगशालाएं

5.2.3.1 शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपकरण

प्रक्षेपण और अनुलिपीकरण के लिए हार्डवेयर तथा आईसीटी प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए जरूरी शैक्षिक साप्टवेयर जिसमें निम्न शामिल होंगे-

सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, टेप रिकार्डर, टीवी सेट, एलेसीडी प्रोजेक्टर, एक ऐपीडियास्कोप, निर्दर्शन बोर्ड (तीन) तथा मूवी कैमरा।

5.2.3.2 शरीरचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला

- मानवीय कंकाल - 1
- यकृत का भार मापने वाली मशीन - 1
- मानवमितीय किट - 1
- वृद्धि-चार्ट तथा शारीरिक प्रणाली चार्ट - 10
- वांछनीय भार और लंबाई तालिकाएं - 2
- स्किनफोल्ड कैलिपर - 2
- श्वसनमापी - 2
- होमोगलोबीनोमीटर - 1
- कुछेक परीक्षणों और उपस्कर्तों से युक्त खेलकूद-मनोविज्ञान प्रयोगशाला

5.3 खेलकूद उपकरण

5.3.1 ऐथेलेटिक

➤ बाधाएं	- 30
➤ आरंभ खटका	- 2
➤ मापक टेप (इस्पात) 15 मीटर	- 1
➤ मापक टेप (इस्पात) 30 मीटर	- 1
➤ मापक टेप (इस्पात) 50 मीटर	- 1
➤ ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (100 मीटर)	- 1
➤ स्टोप वाच	- 8
➤ स्टार्टिंग ब्लाक	- 8
➤ ऊँची छलांग रस्टैड	- 1 जोड़ा
➤ क्रास बार (ऊँची छलांग)	- 6
➤ डिस्कस-पुरुष और महिलाएं	- प्रत्येक के लिए छः-छः
➤ हैमर्स 4 किग्रा., 5 किग्रा.	- प्रत्येक 2-2
➤ स्टोप बोर्ड	- 2
➤ गद्दे	- 6
➤ प्रतियोगिता के अन्त में निर्णायकों के लिए रस्टैण्ड	- 2
➤ फ्लैग पोल	- 20
➤ जैवलिन पुरुषों और महिलाओं के लिए (दो ऐल्यूमीनियम सहित)	- 6
➤ टेक आफ बोर्ड	- 2

5.3.2 खेल

➤ बास्केट बाल बोर्ड और रिंग	- 1 (पूरा सेट), बाल-12
➤ बार्केट बाल जाल	- 6 जोड़े
➤ वालीबाल पोर्स्ट	- 4, बाल-12
➤ क्रिकेट के लिए उपकरण साप्टबाल	- 2 थो बाल (प्रत्येक के सेट)
➤ टेबल टेनिस दो सेट टेबल	- 5 दर्जन बाल तथा 6 बैट
➤ नेट सहित फुटबाल गोल खंभे	- दो जोड़े, 12 बाल
➤ फ्लैग सहित खंभे	- 4
➤ हैण्डबाल खंभे	- 2 जोड़े, 6 बाल
➤ जाल	- 2 जोड़े
➤ बैडमिन्टन खंभे	- 4
➤ बैडमिन्टन रैकेट	- 24
➤ बैडमिन्टन शल्लकाक	- 10 बैरल

- नेट सहित हाकी गोल खंभे - 1 जोड़ा
- हाकी स्टिक तथा बाल - 3 दर्जन
- खो-खो खंभे - 2 सेट

5.3.3 स्वदेशी क्रियाकलापों के लिए उपकरण

- लेजिम - 50 जोड़े
- डम्बल - 50 जोड़े
- भारतीय मुदगर - 50 जोड़े
- फ्लैग, हूप तथा शारीरिक क्रियाकलाप निर्दर्शन के लिए हल्के उपकरण

5.3.4 व्यायाम उपकरण

- बीट बोर्ड - 2
- पैरेलल बार - 1 सेट
- हारिजन्टल बार - 1 सेट
- ऊपर चढ़ने वाली रस्सियां - 6
- चटाइयां - एक दर्जन कायर + एक दर्जन रबड़
- सन्तुलन बीम. (समायोज्य सेट) - 1
- कुदान मेज - 1
- भारोत्तोलन सेट/पावर लिफ्टिंग सेट - 1

5.4 सांस्कृतिक क्रियाकलाप

जरूरत के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त वाद्ययंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.5 विविध

बड़े खेलों, छोटे खेलों, मनोरंजनात्मक खेलों, रिले और लड़ाकू क्रियाकलापों के लिए जरूरी अन्य उपकरण

5.6 सुविधाएं

- 5.6.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5.6.2 संस्थान महिला और पुरुष अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग कामनरूप उपलब्ध कराएगा।
- 5.6.3 स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में टायलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 5.6.4 वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।
- 5.6.5 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

5.6.6 परिसर, जल और टायलेट सुविधाओं की नियमित सफाई तथा फर्नीचर और अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत तथा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

6.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुदेशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

परिशिष्ट -8

शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) कार्यक्रम माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा में अध्यापक तैयार करने के लिए है।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

बी.पी.एड. कार्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष अथवा दो सेमेस्टर की होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

दाखिले और परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम 180 कार्यकारी दिवस होंगे। छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस कम से कम छः घण्टे का होगा।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

3.1.1 50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

3.2 पात्रता

3.2.1 40% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक।

अथवा

एक प्रमुख विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा में 40% अंकों सहित स्नातक।

अथवा

40% अंकों सहित स्नातक जिसमें शारीरिक शिक्षा मुख्य विषय रहा हो।

अथवा

स्नातक जिसने राष्ट्रीय/राज्य/अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद/खेलों/एथलेटिक्स/एसजीएफआई में भाग लिया हो।

अथवा

कोई भी स्नातक जिसने स्कूल, अंतकालेज खेलकूद/खेलों में भाग लिया हो अथवा एनससी ‘सी’ प्रमाण-पत्र पास किया हो।

अथवा

प्रतिनियुक्ति पर/सेवारत अभ्यर्थियों (प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा अध्यापकों/कोचों) के मामले में 40% अंकों सहित स्नातक

3.2.3 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

दाखिले प्रवेश परीक्षा (लिखित परीक्षा, खेलकूद दक्षता परीक्षा, शारीरिक स्वरस्थता परीक्षा तथा अहंक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की नीति के अनुसार शारीरिक स्वरस्थता/दक्षता को समुचित भारिता प्रदान करते हुए किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1 (क) (i) संख्या (50 छात्रों के लिए बुनियादी यूनिट)

प्रिंसीपल/अध्यक्ष	- 1
लेक्चरर	- 5

4.1 (क) (ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त 50 या उससे कम छात्रों के मामले में प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में चार की वृद्धि कर दी जाएगी (1:12)। तथापि, प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के एक बुनियादी यूनिट पर विचार किया जाएगा।

4.1 (क) (iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों/विषयों के शिक्षण के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

4.1 (ख) अर्हताएं

प्रिंसीपल:

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) शिक्षण का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा के किसी संरस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

अध्यक्ष:

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित है।

- (ii) शिक्षण का 7 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा के किसी संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

विभागाध्यक्षः

- (i) पी.एचडी. (शारीरिक शिक्षा) अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य को विशेष भारिता प्रदान की जाएगी।
- (ii) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पात्र और उपर्युक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, शारीरिक शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रिंसीपल/अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के पश्चात की सेवा में 65 वर्ष आयु पूरी कर लेने तक, एक समय में अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

लेक्चररः

एम.पी.एड.

अथवा

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 5 वर्षों के अनुभव सहित बी.पी.एड.

4.1 (ग) तकनीकी सहायगी स्टाफ

- (क) जिन विशेषज्ञताओं की पेशकश की जा - आवश्यकता के अनुसार संख्या
रही है, उनके लिए कोच में (अंशकालिक)
पुस्तकालयाध्यक्ष - एक (नियमित)
चिकित्सा अधिकारी - अंशकालिक (एक)
ग्राउंडमेन/मार्कर/सहायक - नियमित (दो)
ऐरोबिक अध्यापक - अंशकालिक (एक)
संगीत - अंशकालिक (एक)
आईसीटी - अंशकालिक (एक)

(ख) अहंताएं

संबंधन प्रदान करने वाले संबंधित विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित।

4.1(घ) प्रशासनिक स्टाफ

संख्या

- | | |
|------------------------------|--------------|
| (i) कार्यालय एवं लेखा सहायक | - 1 (नियमित) |
| (ii) कार्यालय सहायक एवं टंकक | - 1 (नियमित) |
| (iii) स्टोर कीपर | - 1 (नियमित) |
| (iv) सहायक/परिचर | - 1 (नियमित) |
| (v) तकनीकी सहायक (कंप्यूटर) | - 1 (नियमित) |

4.1(ड.) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित।

4.2 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

- (क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
- (ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।
- (ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।
- (घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।
- (ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।
- (च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं**5.1 आधारिक तंत्र**

- 5.1.1** संस्थान में दो क्लासरूमों, एक बहुदेशीय हाल, संगोष्ठी/ट्यूटरियल कक्षों, प्रिसीपल तथा संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक रस्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालयों आदि जैसे प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट रक्षान होना चाहिए। बहुदेशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।

- 5.1.2** बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुदेशीय खेल का मैदान, 400 मीटर लम्बा ट्रैक तथा व्यायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। महानगरीय कस्बों/पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खुले रक्षान की उपलब्धता

दुष्कर होती है, अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।

5.1.3 ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय प्रबंधक वर्ग/संस्थान के अधिकार में संगत विनियमों के अनुसार या तो सभी तरह के ऋणभार से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अथवा पट्टे पर कम से कम 8 एकड़ भूमि/भूमि और भवन होने चाहिए।

5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।

5.1.5 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा आवासीय क्वार्टर बांधनीय है।

टिप्पणी: मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को आर्धारिकतंत्रीय जरूरतों की पूर्ति के लिए 1 अप्रैल, 2010 तक मौजूदा मानदंडों के अनुसार स्तरोन्नयन करना होगा।

5.2 शिक्षणात्मक

5.2.1 संस्थान के पास कम से कम 8 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिसमें से संस्थानगत भवन के लिए पर्याप्त स्थान तथा भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए खेलकूद और खेल आयोजित करने के लिए मुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। क्लासरूम आदि सहित निर्मित क्षेत्र 12000 वर्गफुट से कम नहीं होना चाहिए। यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में भी जहां भूमि, अपेक्षित 8 एकड़ से कम हो सकती है सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5.2.2 संस्थान के पास छात्र अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय कार्य और अभ्यास शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के निमित्त समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में (5-10) मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों की सुविधा सहज उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए। बेहतर होगा यदि संस्थान के अपने नियंत्रण में एक सम्बद्ध स्कूल हो।

5.2.3 अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम 2000 पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर कम से कम पांच पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय एवं वाचनालय होगा। पुस्तकालय में संकाय और छात्र अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होगी।

5.2.4 संस्थान के पास इन्डोर खेलकूदों, आउटडोर खेलकूदों तथा शारीरिक क्रियाकलापों, खेलकूद चिकित्सा, प्रयोगशाला, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शरीर रचनाविज्ञान और शारीरक्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स तथा खेलों के लिए खेलकूद और क्षेत्रीय उपकरण

तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित और नीचे अनुशंसित उपकरण तथा सुविधाएं होनी चाहिए।

5.2.4.1 प्रयोगशालाएं

खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला उपकरण : नैदानिक मेज, इन्फ्रारेड लैम्प, स्टर्लाइजिंग यूनिट, प्राथमिक चिकित्सा बक्सा, बी.पी. उपकरण, स्टेथसकोप, कोणमापी, स्टाप वाच, मुखीय थर्मोमीटर, आइसबाक्स, वाइबरेटर-2, एक्सरसाइजर (साइकिल), अल्ट्रासाउण्ड उपचार एकक, शार्टवेव उपचार एकक, व्हीलचेयर, वैसाखियों का एक जोड़ा, वजन मापने की मशीन, इलेक्ट्रोनिक बाइसिकिल अर्गोमीटर, (आक्सीजन अपटेक क्षमता मापने के लिए) पीकफ्लोमीटर, शुष्क श्वसनमापी।

5.2.4.2 शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपकरण

प्रोजेक्शन और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा निम्न सहित शैक्षिक साफ्टवेयर : सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, स्लाइड प्रोजेक्शन, टेप रिकार्डर, टी.वी. सेट, ओवरहैड प्रोजेक्टर, निर्दर्शन बोर्ड (तीन) तथा वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैमरा, एक सिनेमैटिक प्रोजेक्टर, मूवी कैमरा।

5.2.4.3 शरीररचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान और स्वारथ्य शिक्षा प्रयोगशाला अनिवार्य:

- मानवीय कंकाल - 1
- यकृत का भार मापने वाली मशीन - 1
- एक एन्थ्रोपोमीटर किट - 1 सेट
- शारीरिक प्रणाली चार्ट और वृद्धि चार्ट - कम से कम 10
- वांछनीय भार और लंबाई तालिकाएं - 2
- रिफ्नफोल्ड कैलिपर - 2
- श्वसनमापी - 2
- होमोग्लोबीनमापी - 1
- दृष्टि परीक्षण (स्नेलन) - 1
- मॉडल

5.2.4.4 वांछनीय: खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला

- कम से कम 10 मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की परीक्षा करने के लिए उपकरण (रेटिंग रक्केलों और मैनुअलों सहित)।

5.2.5 खेलकूद और मैदान के उपकरण

5.2.5.1 एथेलेटिक

➤ बाधाएं	- 30
➤ आरंभ खटका	- 2
➤ मापक टेप (इस्पात) 15 मीटर	- 1
➤ मापक टेप (इस्पात) 30 मीटर	- 2
➤ मापक टेप (इस्पात) 50 मीटर	- 1
➤ मापक टेप (इस्पात) 100 मीटर	- 1
➤ ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (50 मीटर)	- 1
➤ स्टाप वाच	- 6
➤ स्टार्टिंग ब्लाक	- 6
➤ ऊंची छलांग रस्टैण्ड (एक जोड़ा तथा छ: क्रास बार)	- 1 जोड़ा
➤ वाल्टिंग बक्सा	- 1
➤ चक्का-पुरुषों और महिलाओं के लिए	- दोनों के लिए 12-12
➤ शाटपुट - पुरुषों और महिलाओं के लिए	- 6-6
➤ तारगोला (पुरुषों और महिलाओं के लिए)	- 6
➤ स्टाप बोर्ड	- 2
➤ प्रतियोगिता के अन्त में निर्णायकों के लिए रस्टैण्ड	- 2
➤ फ्लैग पोल	- 6
➤ जैवलिन पुरुषों और महिलाओं के लिए (दो ऐल्यूमीनियम सहित)	- 6
➤ टेक आफ बोर्ड	- 2
➤ गद्दे	- 6
➤ भार प्रशिक्षण सेट (चटाइयां)	- 1
➤ ऊंची छलांग के लिए लैंडिंग	- 1

5.2.5.2 खेल

➤ बैडमिंटन पोर्ट	- 2 सेट
➤ बैडमिंटन जाल	- 6
➤ शटलकॉक	- 10 बैरल
➤ बारकेटबाल रस्टैंड तथा बोर्ड	- 2 सेट
➤ बारकेटबाल बाल	- 1 दर्जन
➤ बारकेटबाल नेट	- 4 जोड़े
➤ क्रिकेट बैटिंग पैड	- 3 सेट

➤ क्रिकेट बैंटिंग दरत्ताने	- 3 सेट
➤ एबडामिनल गार्ड	- 3
➤ हेलमेट	- 3
➤ विकेटकीपिंग दरत्ताने	- 2 जोड़े
➤ विकेटकीपर लेग गार्ड	- 2 जोड़े
➤ विकेटें	- 12
➤ बेल्ज	- 10
➤ बाल	- 10 दर्जन
➤ फुटबाल पोर्स्ट	- 2 सेट
➤ फुटबाल बालें	- 1 दर्जन
➤ फुटबाल जाल	- 4 सेट
➤ फ्लैगों सहित पोर्स्ट	- 8
➤ जिमनैस्टिक उपकरण (पुरुष)	- 1 सेट
➤ बीट बोर्ड	- 2
➤ पैरलल बार	- 1
➤ हारीजोटल बार	- 1 सेट
➤ रोमन रिंग	- 1 जोड़ा
➤ प्यूमीलेटेड हार्स	- 1
➤ जिमनैस्टिक उपकरण (महिलाओं के लिए)	- 1 सेट
➤ अनईवन बार	- 1 सेट
➤ बैलेंस बीम (एडजस्टेबल)	- 1
➤ जिमनैस्टिक्स गद्दे	- 24
➤ हैंडबाल पोर्स्ट	- 2 सेट
➤ हैंडबाल बाल	- 1 दर्जन
➤ हैंडबाल जाल	- 4 जोड़े
➤ हाकी पोर्स्ट	- 2 सेट
➤ हाकी बालें	- 10 दर्जन
➤ हाकी स्टिक	- 30
➤ हाकी गोल कीपिंग किट	- 1
➤ खो-खो पोल	- 2 सेट
➤ लान टेनिस पोर्स्ट	- 2
➤ बाल	- 10 दर्जन
➤ साफ्ट बाल क्लब	- 6
➤ बाल	- 1 दर्जन
➤ टेबल टेनिस टेबल	- 4
➤ रैकेट	- 12
➤ बाल	- 10 दर्जन

➤ वालीबाल पोस्ट	- 2 सेट
➤ बाल	- 20
➤ जाल	- 4
➤ एंटीना	- 4
➤ भार प्रशिक्षण राड	- 10
➤ भार प्लैट्टे 2.5 किग्रा., 5 किग्रा., 10 किग्रा., 20 किग्रा. (प्रत्येक 10-10)	
➤ कालर	- 20
➤ बैंच	- 4
➤ वेट-स्टेंड	- 2
➤ एक मल्टीजिम अथवा अलग स्टेशन-वार (कम से कम 10 स्टेशन)	

5.2.5.3 स्वदेशी क्रियाकलापों के लिए उपकरण

➤ लेजिम	- 50 जोड़े
➤ डम्बल	- 50 जोड़े
➤ भारतीय मुदगर	- 50 जोड़े
➤ फ्लैग, हूप तथा शारीरिक क्रियाकलाप निर्दर्शन के लिए हल्के उपकरण	
➤ निर्दर्शन/प्रदर्शन	
➤ मार्शल कलाओं के लिए उपकरण	

5.2.5.4 व्यायाम उपकरण

➤ पैरेलल बार	- 1 सेट
➤ अनहवन पैरेलल बार	- 1 सेट
➤ हारिजन्टल बार	- 1 सेट
➤ दो रोमन रिंग्स	- 1 सेट
➤ छ: ऊपर चढ़ने वाली रसियां (मनीला)	- 6
➤ चटाइयां	- 12 रबड़, 12 कायर
➤ सन्तुलन बीम (समायोज्य सेट)	- 1 सेट
➤ प्यूमेलेटेड हार्स	- 1 सेट
➤ मल्टीजिम (12 स्टेशनों से युक्त)	- 1 सेट
➤ वालिंग टेबल	- 1 सेट
➤ बीट बोर्ड	- 2
➤ क्रैश मैट्स	- 1

5.2.5 सांस्कृतिक क्रियाकलाप

जरूरत के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त वाद्यर्यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.2.7 विविध

बड़े खेलों, छोटे खेलों, मनोरंजनात्मक खेलों, रिले और लड़ाकू क्रियाकलापों के लिए जरूरी अन्य उपकरण।

5.3 साधन

5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3.2 संस्थान पुरुष/महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम उपलब्ध कराएगा।

5.3.3 रसाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में पुरुष और महिला शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.3.4 वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

5.3.5 संस्थान में सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3.6 परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुदेशीय हाल, खेल के मैदान, पुरत्तकालय तथा प्रयोगशाला पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एमपीएड) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

- (क) शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एमपीएड) कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का और साथ ही शारीरिक शिक्षा कालेजों और विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा विभागों में अध्यापक प्रशिक्षकों का एक व्यावसायिक संवर्ग तैयार करने के लिए हैं।
- (ख) केवल ऐसे विश्वविद्यालय विभाग और संस्थान एम.पी.एड. की पेशकश करने के पात्र हैं जोकि बी.पी.एड. (एकीकृत)/बी.पी.एड. पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

एम.पी.एड. कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि छोड़कर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शिक्षण, क्षेत्रीय कार्य तथा स्कूल में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए कम से कम 180 कार्यकारी दिवस होंगे, छ: दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्यकारी दिवस छ: घण्टे का होगा।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

प्रत्येक वर्ष दाखिल किए जाने वाले के लिए 30 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

3.2 पात्रता

- (क) चार वर्षीय बी.पी.एड./बी.पी.एड. (एकीकृत) डिग्री स्तर पर कम से कम 50% अक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।
- (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य, पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

दाखिले प्रवेश परीक्षा (लिखित परीक्षा, खेलकूद दक्षता परीक्षा, शारीरिक स्वस्थता परीक्षा तथा अहंक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की नीति के अनुसार शारीरिक स्वस्थता/दक्षता को समुचित भारिता प्रदान करते हुए किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1.1 संख्या (दाखिल किए जानेवाले 30 या इससे कम छात्रों के लिए, दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 60 या इससे कम की संयुक्त क्षमता के लिए)

प्रोफेसर - 1

रीडर (2)/लेक्चरर (3) - 5

4.1.2 दाखिल किए जाने वाले 10 अतिरिक्त छात्रों के लिए एक अतिरिक्त लेक्चरर की नियुक्ति की जाएगी।

अर्हताएं

(क) प्रोफेसर:

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) एम.पी.एड. प्रशिक्षण कालेज में शिक्षण का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

(ख) रीडर:

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित है।
- (ii) एम.पी.एड. प्रशिक्षण कालेज में शिक्षण का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी:

- (i) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पात्र और उपर्युक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, शारीरिक शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रिंसीपल/अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के पश्चात की सेवा में 65 वर्ष आयु पूरी कर लेने तक, एक समय में अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(ग) लेक्चरर

- (i) एम.पी.एड.
- (ii) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी.

4.1.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

बी.पी.एड. के लिए जरूरी स्टाफ के अलावा निम्न स्टाफ की जरूरत होगी:

संख्या

- (iv) तकनीकी सहायक - दो (नियमित)
- (v) सहायक - एक (नियमित)

अर्हताएः

संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित

4.2 सेवा की शर्तें और उपबंध

- (क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
- (ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।
- (ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।
- (घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।
- (ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।
- (च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएँ

5.1 आधारिक तंत्र

- 5.1.1 30-30 छात्रों के बैठने की सुविधा सहित दो व्लासरूम, 100 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा सहित एक बहुदेशीय हाल, संगोष्ठी/ट्यूटोरियल कक्षों, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के लिए खतंत्र कमरों, प्रशासनिक स्टाफ

के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था की जाएगी। क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्गफुट स्थान होगा।

- 5.1.2** इन्डोर खेलकूदों के लिए एक बहुदेशीय हाल/व्यायामशाला तथा आउटडोर खेलों के/लिए सुविधाएं होंगी।
- 5.1.3** ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय प्रबंधक वर्ग/संस्थान के अधिकार में संगत विनियमों के अनुसार या तो सभी तरह के ऋणभार से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अथवा पट्टे पर कम से कम 8 एकड़ भूमि/भूमि और भवन होने चाहिए।
- 5.1.4** भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।
- 5.1.5** लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

टिप्पणी: मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को आधारिकतंत्रीय जरूरतों का 1 अप्रैल, 2010 तक मौजूदा मानदंडों के अनुसार स्तरोन्नयन करना होगा।

5.2 शिक्षणात्मक

- 5.2.1** संस्थान के पास कम से कम 8 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विरतार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल तथा खेलकूदों के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 12000 वर्गफुट होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनिश्चित की जानी चाहिए जहां कि कुल भूमि अपेक्षित 8 एकड़ से कम हो सकती है।
- 5.2.2** प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षणात्मक स्थान का आकार 10 वर्गफुट से कम नहीं होना चाहिए।
- 5.2.3** वाचनालयों की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय होगा जिसमें सभी विशेषज्ञताओं और पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम 2000 पुस्तकें और सन्दर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोश, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशन (सीडी रोम) सहित और कम-से-कम पांच पत्रिकाएं तथा इंटरनेट संयोज्यता की व्यवस्था होगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रतिवर्ष कम-से-कम 100 उत्कृष्ट पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्र-अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकॉपी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 5.2.4** विभिन्न इन्डोर तथा आउटडोर खेलकूदों और खेलों के लिए समुचित उपकरण होने चाहिए।

5.2.5 दाखिल किए जाने वाले अनुमोदित 60 छात्रों (दो वर्ष) के लिए शिक्षणात्मक क्रियाकलाप करने के बास्ते प्रयोगशालाएं होनी चाहिए।

5.2.5.1 निम्न उपकरणों सहित स्वारथ्य शिक्षा, भौतिक चिकित्सा और खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला होनी चाहिए:

- (i) वजन तोलने की एक मानक मशीन
- (ii) एक एन्थ्रोपोमीटर/लम्बाई स्टैंड
- (iii) वांछनीय भार और लम्बाई तालिकाएं
- (iv) इन्क्रारेड लैम्प
- (v) पराबैंगनी लैम्प
- (vi) शार्ट वेव डायाथर्म
- (vii) मोटराइज्ड ट्रेड मिल
- (viii) वाइसिकिल अर्गोमीटर
- (ix) वी.पी. उपकरण
- (x) हार्वर्ड स्टेप परीक्षण उपकरण

5.2.5.2 शैक्षिक और खेलकूद मनोविज्ञान से संबंधित सामान्य प्रयोग करने के लिए कम से कम 10 उपकरणों से युक्त एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होगी।

5.2.5.3 निम्न उपकरणों सहित एक शरीररचनाविज्ञान और शरीरक्रियाविज्ञान प्रयोगशाला होगी:

- (i) मानवीय कंकाल-1
- (ii) मेट्रोनोम्स-1
- (iii) विभिन्न शारीरिक प्रणालियों के माडल और चार्ट-कम से कम 10
- (vii) रसाप वाच - 5
- (viii) स्पाइरोमीटर - 2
- (ix) इलेक्ट्रोनिक बैरोमीटर - 1
- (x) वजन मापने की मशीनें - 2
- (xi) शीर्ष प्रवाह मीटर - 2
- (xii) कोण मापक - 2
- (xiii) डायनिमोमीटर (हाथ, पैर कमर) - प्रत्येक के लिए एक-एक

5.2.5.4 प्रक्षेपण तथा अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर से युक्त शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मीडिया प्रयोगशाला तथा आईसीटी प्रयोगशाला के लिए टीवी, कैमरा सहित जरूरी शैक्षिक साफ्टवेयर वांछनीय होंगे।

6.3 साधन

- 6.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 6.3.2 संस्थान पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थियों के लिए अलग-अलग कामन रूपमें उपलब्ध कराएगा।
- 6.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में पुरुषों और महिलाओं के टायलेट अलग-अलग उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 6.3.4 वाहनों को खड़े करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- 6.3.5 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- 6.3.6 परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारण इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएंगी।

7.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुदेशीय हाल, खेल के गैदान, पुरतकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक रथान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

शारीरिक शिक्षा में स्नातक - चार वर्षीय बीपीएड कार्यक्रम (एकीकृत)

1.0 प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में स्नातक - चार वर्षीय बीपीएड कार्यक्रम (एकीकृत) मुख्यतः माध्यमिक और उच्च माध्यमिक रकूलों के वार्ते व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा अध्यापक तैयार करने के लिए बनाया गया है।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

बीपीएड (चार वर्षीय एकीकृत) कार्यक्रम की अवधि चार शैक्षणिक वर्ष की होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम 180 कार्य दिवस होंगे। छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस कम से कम छः घण्टे का होगा।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

3.1.1 प्रेभावी पाठ्यचर्या संचालन के लिए तथा भौतिक और आधारिक तंत्र और शिक्षण रटाफ की विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के वार्ते 50 छात्रों की बुनियादी इकाई होगी।

3.2 पात्रता

3.2.1 उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार दाखिले के लिए पात्र हैं। जिन उम्मीदवारों ने खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में राज्य अथवा राष्ट्रीय अथवा अंतर्विश्वविद्यालयी रूपर पर भाग लिया है उनके मामले में उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 40% होगा।

3.2.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों के अन्य श्रेणियों के पक्ष में 5% अंकों की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

दाखिले प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार (लिखित परीक्षा, खेलकूद दक्षता परीक्षा, शारीरिक रखरखता परीक्षा तथा अहंक परीक्षा में प्राप्त

अंक) अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1 (क) (i) संख्या (50 छात्रों की एक बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रिंसीपल/अध्यक्ष	1
लेक्चरर	5

4.1 (क) (ii) दाखिल किए जाने वाले 50 छात्रों या इससे कम अतिरिक्त छात्रों के दाखिले की स्थिति में पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के हिसाब से 4 अध्यापकों की वृद्धि की जाएगी (1:12)।

4.1 (क) (iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों के शिक्षण तथा संबद्ध क्रियाकलापों की विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

4.1 (ख) अहंताएं

प्रिंसीपल:

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अहंताएं वही होंगी जो लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) शिक्षण का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

अध्यक्ष:

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अहंताएं वही होंगी जो लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) शिक्षण का 7 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

टिप्पणी:

- (i) पीएच.डी. (शारीरिक शिक्षा) अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य को विशेष भारिता दी जाएगी।
- (ii) उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तथा उपर्युक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में एक बार में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए शारीरिक शिक्षा/रेवानिवृत्त प्रिंसीपल में अध्यक्ष की संविदा

आधार पर नियुक्ति तब तक के लिए की जा सकती है जब तक कि ऐसे उम्मीदवार सेवानिवृत्ति के बाद की संविदागत सेवा में 65 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें।

लेखकरर

एम.पी.एड.

अथवा

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 5 वर्ष के अनुभव सहित बी.पी.एड.

4.1 (ग) तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क)	क्रियाकलापों के लिए अध्यापक/कोच	आवश्यकतानुसार संख्या में (अंशकालिक)
	पुस्तकालयाध्यक्ष	एक (नियमित)
	चिकित्सा अधिकारी	अंशकालिक (एक)
	ग्राउंडमेन/मार्कर/सहायक	नियमित (दो)
	ऐरोबिक अध्यापक	अंशकालिक (एक)
	शारीरिक योग्यता विशेषज्ञ	अंशकालिक -(एक)
	संगीत	अंशकालिक (एक)
	आईसीटी	अंशकालिक (एक)

(ख) अहताएं

संबंधित राज्य सरकार, संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा
यथानिर्धारित

4.1(घ) प्रशासनिक स्टाफ

(i)	कार्यालय एवं लेखा सहायक	1 (नियमित)
(ii)	कार्यालय सहायक एवं टंकक	1 (नियमित)
(iii)	प्रयोगशाला सहायक	1 (नियमित)
(iv)	स्टोर कीपर	1 (नियमित)
(v)	सहायक/परिचर	1 (नियमित)
(vi)	तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)	1 (नियमित)

संख्या

4.1(ङ) अहताएं

संबंधित राज्य सरकार, संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा
यथानिर्धारित

4.2 सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति, केंद्रीय/राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो, की नीति के अनुसार गठित घयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

- (ख) अंशकालिक के रूप में उल्लिखित पदों को छोड़कर बाकी सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक तथा नियमित आधार पर की जाएंगी।
- (ग) अंशकालिक कोचों तथा अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय/यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।
- (घ) रास्थानों के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता को देय चैक के द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी के विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।
- (ङ) अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से संबंधित सांविधिक दायित्वों का निर्वाह संस्थान के प्रबंधक वर्ग द्वारा किया जाएगा।
- (च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु, संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय की नीति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

- 5.1.1 रास्थान में दो क्लासरूमों, एक बहुदेशीय हाल, संगोष्ठी/ट्यूटरियल कक्षों, प्रिंसीपल तथा संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुरतकालवों आदि जैसे प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट रास्थान होना चाहिए। बहुदेशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।
 - 5.1.2 बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुदेशीय खेल का गैदान, 400 मीटर लम्बा ट्रैक तथा खायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। महानगरीय करबों/पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खुले रास्थान की उपलब्धता दुष्कर होती है, अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।
 - 5.1.3 ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय प्रबंधक वर्ग/संस्थान के अधिकार में संगत विनियमों के अनुसार या तो सभी तरह के ब्रिंजभार से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अथवा पट्टे पर कम से कम 8 एकड़ वर्गमि/भूमि और भवन होने चाहिए।
 - 5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।
 - 5.1.5 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछेक आवासीय कार्पार्टर वांछनीय हैं।
- टिप्पणी:** मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को 1 अप्रैल 2010 से पहले मौजूदा मानदंडों के अनुसार आधारिक अपेक्षाओं का स्तरोन्नयन करना होगा।

5.2 शिक्षणात्मक

- 5.2.1 संस्थान के पास कम से कम 8 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त रखान और खेल तथा खेलकूदों के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 12000 वर्गफुट होगा। यह स्थिति महानगरीय और पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनिश्चित की जानी चाहिए जहां कि कुल भूमि अपेक्षित 5 एकड़ से कम हो सकती है।
- 5.2.2 संस्थान के पास छात्र अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय कार्य और अभ्यास शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के निमित्त समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में (5-10) मान्यताप्राप्त माध्यमिक रूपों की सुविधा सहज उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए। बेहतर होगा यदि संस्थान के अपने नियंत्रण में एक सम्बद्ध स्कूल हो।
- 5.2.3 अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम 2000 पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर कम से कम पांच पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय एवं वाचनालय होगा। पुस्तकालय में संकाय और छात्र अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होगी।
- 5.2.4 संस्थान के पास इन्डोर खेलकूदों, आउटडोर खेलकूदों तथा शारीरिक क्रियाकलापों, खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शरीर रचनाविज्ञान और शरीर क्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, एथलेटिक्स, खेलकूद तथा एथलेटिक्स और खेलकूद के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित और नीचे अनुशासित उपकरण तथा सुविधाएं होनी चाहिए।

5.2.4.1 प्रयोगशालाएं

खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला उपकरण : नैदानिक मेज, इन्फ्रा-रेड लैम्प, स्टर्लाइजिंग यूनिट, प्राथमिक चिकित्सा बक्सा, बी.पी. उपकरण, स्टेथसकोप, कोणमापी, स्टाप वाच, मुखीय थर्मामीटर, आइस बाक्स, वाइबरेटर-2, एक्सरसराइजर (साइकिल), अल्ट्रासाउण्ड उपचार एकक, शार्टवेय उपचार एकक, व्हीलचेयर, बैसाखियों का एक जोड़ा, वजन मापने की मशीन, स्किनफोल्ड कैलीपर, इलेक्ट्रोनिक बाइसिकिल अर्गोमीटर (अपटेक क्षमता मापने के लिए), एक आपरेशन टेबल।

5.2.4.2 शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपकरण

प्रोजेक्शन और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा निम्न सहित शैक्षिक साफ्टवेयर : सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, रलाइड प्रोजेक्शन, टेप रिकार्डर, टी.वी. सेट, ऑवरहैड प्रोजेक्टर, निर्दर्शन बोर्ड (तीन) तथा वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैमरा, एक सिनेमैटिक प्रोजेक्टर, मूवी

कैमरा। रोट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अन्तर्रांबंध टर्मिनल) वांछनीय होंगे।

5.2.4.3 शरीररचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान और खास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला अनिवार्यः

- मानवीय कंकाल - 1
- यकृत का भार मापने वाली मशीन - 1
- एन्थ्रोपोमीटर किट - 1 सेट
- शारीरिक प्रणाली चार्ट और विकास चार्ट - कम से कम 10
- शरीरांगों और प्रणालियों के माडल - प्रत्येक का 1-1 सेट
- स्फाइग्मोमैनोमीटर - 6
- वांछनीय भार और लंबाई तालिकाएं - 2
- स्किनफोल्ड कैलिपर - 2
- श्वसनमापी - 2
- होमोग्लोबिनोमीटर - 1
- दृष्टि परीक्षण (स्नेलॉन) - 1

5.2.4.4 खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला

- आईक्यू ईक्यू व्यक्तित्व, प्रेरण, अभिवृत्तियां, चिंता, रुचियां तथा तनाव मापने के लिए विभिन्न मौखिक तथा गैर-मौखिक परीक्षण।
- प्रतिक्रिया समय, व्यूह अधिगम, गहनता प्रत्यक्षण आंख-हाथ समन्वय और वेदना सहनशीलता मापने के लिए विभिन्न उपकरण।

टिप्पणी: प्रयोज्यता तथा प्रशासनिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए उपरकरणों/उपकरणों में अधिक से अधिक 10% तक की घटा-बढ़ी सहन की जा सकती है।

5.2.5 खेलकूद और मैदान के उपकरण

5.2.5.1 एथेलेटिक्स

- बाधाएं - 30
- आरंभ खटका - 2
- मापक टेप (इस्पात) 15 मीटर - 1
- मापक टेप (इस्पात) 30 मीटर - 2
- मापक टेप (इस्पात) 50 मीटर - 1
- मापक टेप (इस्पात) 100 मीटर - 1
- ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (50 मीटर) - 1
- स्टाप वाच - 6...
- स्टार्टिंग ब्लाक - 6
- ऊँची छलांग स्टेण्ड (एक जोड़ा तथा छः क्रास बारे) - 1 जोड़ा
- वाल्टिंग बक्सा - 1

➤ चक्का-पुरुषों और महिलाओं के लिए	-दोनों के लिए
	6-6
➤ शाटपुट (पुरुषों और महिलाओं के लिए)	-दोनों के लिए
	6-6
➤ तारगोला (पुरुषों और महिलाओं के लिए)	-दोनों के लिए
	3-3
➤ स्टाप बोर्ड	- 2
➤ प्रतियोगिता के अंत में निर्णायकों के लिए स्टैण्ड	- 2
➤ फ्लैग पोल	- 6
➤ जैवलिन पुरुषों और महिलाओं के लिए (दो एल्यूमीनियम सहित)	- 6
➤ टेक आफ बोर्ड	- 2
➤ गद्दे	- 6
➤ भार प्रशिक्षण सेट (मैट)	- 1
➤ ऊंची कूद के लिए लैंडिंग	- 1

5.2.5.2 खेल

➤ बैडमिंटन पोर्स्ट	- 2 सेट
➤ बैडमिंटन जाल	- 6
➤ शटलकॉक	- 10 बैरल
➤ बास्केटबाल स्टैंड तथा बोर्ड	- 2 सेट
➤ बास्केटबाल बाल	- 1 दर्जन
➤ बास्केटबाल नेट	- 4 जोड़े
➤ क्रिकेट बैटिंग पैड	- 3 सेट
➤ क्रिकेट बैटिंग दस्ताने	- 3 सेट
➤ एबडामिनल गार्ड	- 3
➤ हेलमेट	- 3
➤ विकेटकीपिंग दस्ताने	- 2 जोड़े
➤ विकेटकीपर लेग गार्ड	- 2 जोड़े
➤ विकेटें	- 12
➤ बेल्ज	- 10
➤ बाल	- 10 दर्जन
➤ फुटबाल पोर्स्ट	- 2 सेट
➤ फुटबाल बालें	- 1 दर्जन
➤ फुटबाल जाल	- 4 सेट
➤ फ्लैगों सहित पोर्स्ट	- 8
➤ जिमनैस्टिक उपकरण (पुरुष)	- 1 सेट

➤ वाल्टिंग टेबल/हार्स	- 1
➤ बीट बोर्ड	- 2
➤ पैरलल बार	- 1
➤ हारीजोंटल बार	- 1 सेट
➤ रोमन रिंग	- 1 जोड़ा
➤ प्यूमीलेटेड हार्स	- 1
➤ जिमनैस्टिक उपकरण (महिलाओं के लिए)	- 1 सेट
➤ अनईवन बार	- 1 सेट
➤ बैलेंस बीन (एडजस्टेबल)	- 1
➤ जिमनैस्टिक्स गदे	- 24
➤ हैंडबाल पोर्स्ट	- 2 सेट
➤ हैंडबाल बाल	- 1 दर्जन
➤ हैंडबाल जाल	- 4 जोड़े
➤ हाकी पोर्स्ट	- 2 सेट
➤ हाकी बालें	- 10 दर्जन
➤ हाकी स्टिक	- 30
➤ हाकी गोल कीपिंग किट	- 1
➤ खो-खो पोल	- 2 सेट
➤ लान टेनिस पोर्स्ट	- 2
➤ बाल	- 10 दर्जन
➤ साफ्ट बाल क्लब	- 6
➤ बाल	- 1 दर्जन
➤ टेबल टेनिस टेबल	- 4
➤ रेकेट	- 12
➤ बाल	- 10 दर्जन
➤ वालीबाल पोर्स्ट	- 2 सेट
➤ बाल	- 20
➤ जाल	- 4
➤ एंटीना	- 4
➤ भार प्रशिक्षण राड	- 10
➤ भार प्लेटें 2.5 किग्रा., 5 किग्रा., 10 किग्रा., 20 किग्रा.	(प्रत्येक 10-10)
➤ कालर	- 20
➤ बैच	- 4
➤ वेट स्टैंड	- 2
➤ एक मल्टीजिम अथवा अलग स्टेशन-वार (कम से कम 10 स्टेशन)	

5.2.5.3 स्वदेशी क्रियाकलापों/विशाल निदर्शन के लिए उपकरण

- लेजिम - 50 जोड़े
- डम्बल - 50 जोड़े
- भारतीय मुदगर - 50 जोड़े
- फ्लैग हूप, वैंड, बाल, अंबेला, कूदन - प्रत्येक 50-50
- मार्शल कलाओं के लिए उपकरण

टिप्पणी: प्रयोज्यता और प्रशासनिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए मर्दों/उपकरणों में अधिक से अधिक 10% की घटा-बढ़ी सहन की जा सकती है।

5.2.6 सांस्कृतिक क्रियाकलाप

विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जब कभी जरूरत हो उपयुक्त और पर्याप्त संख्या में वाद्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

5.2.7 विविध

बड़े खेलों, छोटे खेलों, मनोरंजनात्मक खेलों, रिले और लड़ाकू क्रियाकलापों के लिए जरूरी अन्य उपकरण।

5.3 साधन

- 5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।
- 5.3.2 संस्थान पुरुष/महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम उपलब्ध कराएगा।
- 5.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के अलग-अलग टायलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 5.3.4 वांहनों को खड़ा करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।
- 5.3.5 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएंगा।
- 5.3.6 परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारण इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुदेशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला और साथ ही पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) दिलाने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) में कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता का रत्नानयन करना है। साथ ही इस पाठ्यक्रम में उन अध्यापकों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है जिन्होंने औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण के बिना व्यवसाय में प्रवेश किया है।

1.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद फिलहाल प्रारंभिक स्कूलों में सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (ओडीएल) को एक उपयोगी और व्यवहार्य तरीके के रूप में स्वीकार करती है। यह तरीका अध्यापकों तथा स्कूली प्रणाली में सेवारत कई अन्य शैक्षिक कर्मियों को अतिरिक्त शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए उपयोगी है।

2. अवधि

शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) पाठ्यक्रम को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पूरा करने की न्यूनतम अवधि दो वर्ष और अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी। प्रति वर्ष एक-एक महीने के लिए दो संपर्क कार्यक्रम (रीपी) आयोजित किए जाएंगे जिनमें 180 घंटे की अन्योन्यक्रिया (प्रतिदिन 6 घंटे का अन्योन्यक्रियापूर्ण रात्रि और व्यवहारिक कार्य) सुनिश्चित की जाएगी। संपर्क कार्यक्रमों में सिद्धांत में पाठ्यक्रम संचालन, सूक्ष्म स्तरीय अनुकृत कौशल अर्जन सत्र, समुदाय-आधारित अभ्यासक्रम, क्षेत्रीय अनुभव और निकटतः अनुसमर्थित गहन अध्यापन सत्र शामिल होंगे।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

प्रत्येक अध्ययन केंद्र में 100 अभ्यर्थियों का दाखिला किया जाएगा।

3.2 पात्रता

ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापक जिन्होंने XII की या इसके समतुल्य परीक्षा पास की है और साथ ही जिन्होंने प्रारंभिक सत्र पर अथवा किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूल में प्रारंभिक सत्र में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त किया है दाखिले के लिए पात्र होंगे।

3.3 दाखिले की प्रक्रिया

- 3.3.1 अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगी।
- 3.3.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

4. मुख्यालय तथा अध्ययन केंद्र स्तर पर संकाय

- 4.1 कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान के मुख्यालय में और अध्ययन केंद्र में स्टाफ के ब्यौरे निम्नानुसार होंगे:

- निदेशक/अध्यक्ष/प्रिंसीपल - 01
- रीडर/वरिष्ठ लेक्चरर - 02
- लेक्चरर - 05

डी.एड. (डी.ई.) का मुख्यालय या तो राष्ट्रीय/राज्य मुक्त विश्वविद्यालय में अथवा परंपरागत विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में, एससीईआरटी अथवा प्रारंभिक शिक्षा के स्तरान्वयन के लिए सेवारत किसी अन्य राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संगठन में होगा। संबंधित संस्थान का मुख्यालय संपर्क कार्यक्रमों की व्यवस्था करने तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य मांग-आधारित परामर्शी सेवाओं के लिए डाइटो/बीटीआई/उच्च माध्यमिक स्कूलों आदि के स्तर पर कई अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा।

- 4.2 अध्ययन केंद्र में अपेक्षित स्टाफ के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं:

- समन्वयकर्ता - 01
- सहायक-समन्वयकर्ता - 01
- अंशकालिक शैक्षणिक परामर्शदाता - संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार की जाएगी जो कि बेहतर हो कि 1:50 के अनुपात में रखी जाए।

शिक्षण और प्रशासनिक स्टाफ की अर्हता

5.1 शिक्षण स्टाफ

(क) निदेशक/अध्यक्ष/प्रिंसीपल

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित की गई हैं।

(ख) रीडर/वरिष्ठ लेक्चरर

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अहंताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित की गई हैं।
- (ii) किसी प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में लेक्चरर के रूप में अथवा स्कूल स्तर पर किसी अन्य रूप में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
- (iii) शिक्षा में अथवा किसी स्कूल विषय में पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित अनुसंधान कार्य अथवा व्यावसायिक लेख एक वांछनीय अपेक्षा होगी।

(ग) लेक्चरर तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ

- (i) एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) अधिमानतः प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड। 55% अंकों सहित एम.एड. (प्रारंभिक शिक्षा) डिग्रीधारक उम्मीदवार भी पात्र होंगे।
- (ii) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्य अनुभव/एसयूपीडब्ल्यू सूचना प्रौद्योगिकी, साक्षरता कार्य आदि जैसे विशेषज्ञतापूर्ण विषयों को पढ़ाने के लिए अन्य शैक्षणिक स्टाफ की अहंताएं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित अहंताएं होंगी।
- (iii) वांछनीय अहंताएँ: दूरस्थ शिक्षा/मल्टीमीडिया शिक्षा/आईसीटी विधियों में अनुभव।

5.2 मुख्यालय के लिए गैर-शिक्षण/सहयोगी स्टाफ/प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ नीचे बताए भानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराया जाए:

• साफ्टवेयर विशेषज्ञ/व्यावसायिक	01
• आकलन और मूल्यांकन प्रभारी	01
• डाटाबेस बनाए रखने के लिए कंप्यूटर आपरेटर	01
• कार्यालय सहायक	01
• अध्ययन सामग्री भेजने के लिए सहायक	01

6.0 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

- (क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित घयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
- (ख) शकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

- (ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।
- (घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।
- (ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।
- (च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

7. भौतिक आधारिक तंत्र

- 7.1 मुख्यालय स्तर पर: पर्याप्त संख्या में क्लासरूम तथा संकाय सदस्यों के लिए क्षयूबिकल, फोटोकार्पीयरों सहित एक कार्यालय कक्ष, छात्रों का डाटाबेस बनाए रखने के लिए कंप्यूटर आपरेटरों के वास्ते एक विशाल कमरा, अधिगम सामग्री के निर्माण/संसाधित करने के लिए एक अन्य कमरा, अधिगम सामग्री के भंडारण और प्रेषण के लिए एक स्टोर तथा पाठों को रिकार्ड करने तथा सीड़ी का निर्माण करने के लिए एक शृंखला-दृश्य स्टूडियो से सुसज्जित तथा बैठकों/टेलीकांफ्रैंसिंग के लिए एक विशाल सम्मेलन कक्ष।
- 7.2 अध्ययन केंद्र स्तर पर: व्यावहारिक कार्य के लिए विज्ञान और मनोविज्ञान प्रयोगशालाएं, कार्यशाला, प्रविधि संबंधी विषयों में प्रशिक्षणार्थियों के वैयक्तिक मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे, एक प्रारंभिक अभ्यास रकूल की उपलब्धता, संपर्क कक्षाएं आयोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे।

8. पुस्तकालय

- 8.1 मुख्यालय स्थित पुस्तकालय: रकूल और प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा से संबंधित पर्याप्त राख्या में पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों से युक्ता एक रुसजित पुस्तकालय होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी पुस्तकालय, 'आईसीटी' पुस्तकालय, मनोवैज्ञानिक उपकरण, सीड़ी, विश्व कोष, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की पत्रिकाएं। इसके अलावा अंग्रेजी/हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में खंडनुदेशात्मक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- 8.2 अध्ययन केंद्र पुस्तकालय: संपर्क सत्रों के दौरान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संस्थानों में जहाँ अध्ययन केंद्र स्थित हैं पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का प्रयोग किया जाएगा।

9. मूल्यांकन

संतत और व्यापक स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन में एसाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी सत्र, व्यावहारिक कौशल अर्जन और सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के ब्लाकों/यूनिटों पर आधारित परीक्षाएं शामिल होंगी। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन की भारिता 30:70 के अनुपात गे होगी। बाह्य मूल्यांकन में पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय यूनिटों संबंधी प्रश्न शामिल होंगे और इसका आकलन वस्तुनिष्ठ प्रकृति/लघु उत्तर कोटि/दीर्घ उत्तर कोटि प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इन प्रश्नों के बाबत परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा/अंतिम रूप दिया जाएगा।

10. छात्र सहयोग और मानीटरन

छात्र सहयोग मुख्यतः पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जरूरी मानवीय और प्रौद्योगिकीय आधारिक तंत्र के रूप में होगा। प्रत्येक अध्ययन केंद्र में प्रशिक्षणार्थीयों को प्रदान किए जाने वाले सहयोग का मानीटरन डी.एड. (डी.ई.) कार्यक्रम की एक अनिवार्य अपेक्षा होगी।

11. शुल्क संरचना

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से वसूले जाने वाला शुल्क विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप होगा।

12. पाठ्य विवरण और स्व-अधिगम सामग्री

12.1. पाठ्य विवरण: नियमित कक्षाओं के लिए डी.एड. का पाठ्य विवरण ब्लाकों/यूनिटों रो युक्त दूरस्थ शिक्षा पद्धति में रूपांतरित कर दिया जाएगा। संरथान द्वारा तैयार की जाने वाली स्व-अधिगम सामग्री डीईसी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

12.2. शृंखला-दृश्य कार्यक्रम: राज्य संसाधन केंद्रों और इग्नू की उपलब्ध अपलिंकिंग सुविधा का प्रयोग किया जाएगा।

13. पाठ्यचया क्षेत्रों में अभ्यास शिक्षण

मुख्यालय का स्टाफ अध्ययन केंद्रों में प्रयोग के लिए पाठ्यचर्चा, स्व-अधिगम सामग्री, मॉडल पाठ योजनाएं और एवी सामग्री तैयार करेगा। पहले और दूसरे वर्षों की समाप्ति पर परीक्षा निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में स्थित अध्ययन केंद्र आंतरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करके अभ्यास शिक्षण तथा कार्य अनुभव घटकों की परीक्षा आयोजित करेंगे।

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) दिलाने वाले माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित बी.एड. कार्यक्रम का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों को व्यावसायिक उन्नति के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम में भाग लैने का एक अवसर प्रदान करना है।

2.0 पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने की शर्त

यह पाठ्यक्रम केवल राष्ट्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा निदेशालयों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

3.0 अवधि

3.1 परीक्षा के लिए निर्धारित समय सहित दाखिले की तारीख से 24 महीने। अवधि की गणना दाखिलों की समाप्ति की तारीख से की जाएगी।

4.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

4.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से बी.एड. के बुनियादी यूनिट में 500 सीटें होंगी। तथापि विश्वविद्यालय में इस शर्त के साथ 100 के गुणकों में अतिरिक्त सीटें रखी जा सकती हैं कि दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या 1000 सीटों से अधिक नहीं होगी लेकिन शर्त यह है कि दाखिल किए जाने वाले छात्रों की क्षमता की उपर्युक्त ऊपरी सीमा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एक से अधिक राज्यों में क्षेत्राधिकार रखने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में गुण-दोष के आधार पर ढील दी जा सकती है।

4.2 पात्रता

4.2.1 किसी मान्यताप्राप्त प्राथमिक/प्रारंभिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक रूकूल में सेवारत और उपर्युक्त में से किसी भी रूकूर पर रूकूल शिक्षण के कम से कम दो वर्ष के अनुभव सहित स्नातक डिग्रीधारक अध्यापक इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र हैं।

4.2.2 राज्य विश्वविद्यालय केवल ऐसे उम्मीदवारों की दाखिला देंगे जो कि विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा आंबंटित क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में स्थित रूकूलों में कार्यरत हों।

4.3 दाखिले की क्रियाविधि

- 4.3.1 विश्वविद्यालय/संस्थान उम्मीदवारों के चयन के लिए एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगा।
- 4.3.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

5.0 मुख्यालय स्तर

5.1 मुख्यालय में शैक्षणिक स्टाफ़

मुख्यालय में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए न्यूनतम कोर संकाय में पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्यक्रम विकास, छात्रों के एसाइनमेंटों की जांच, मानीटरन, अधिगम सामग्री को अद्यतन बनाने, संपर्क कार्यक्रम आयोजित करने, छात्र अध्यापन अधिगम का मानीटरन करने, अध्ययन केंद्र में परिवार और स्टाफ़ के दिशाअनुकूलन आदि जैसे क्रियाकलाप करने के बास्ते कम से कम एक प्रोफेसर, एक रीडर और चार लेक्चरर शामिल होंगे।

5.2 शिक्षण स्टाफ़ की अर्हता

5.2.1 (बहुसंकाय संस्थान में) प्रोफेसर/प्रिंसीपल/अध्यक्ष:

अर्हता: (i) किसी माध्यमिक स्तर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने के 5 वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे दी अनुसार अर्हताएं।

5.2.2 रीडर:

अर्हता: (i) किसी माध्यमिक स्तर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने के 5 वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे दी अनुसार अर्हताएं।

टिप्पणी: (i) पीएच.डी. दूरस्थ शिक्षा/शैक्षिक आयोजना तथा प्रबंध में एम.फिल./पीएच.डी. को विशेष भारिता दी जाएगी।

(ii) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रोफेसर/रीडर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तथा उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों/रीडरों को एक बार में अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर उतने समय के लिए नियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है जब तक कि वे आयु के 65 वर्ष पूरे न कर लें।

5.2.3 लेक्चरर:

एम.एड.

अथवा

बी.एड. सहित मास्टर डिग्री (55% अंकों सहित)

5.3 तकनीकी स्टाफ, प्रशासनिक स्टाफ

5.3.1 मुख्यालय में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए ज़रूरी प्रशासनिक तथा अन्य गैर-शिक्षण स्टाफ।

5.3.2 पाठ्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए ज़रूरी प्रशासनिक तथा अन्य गैर-शिक्षण स्टाफ की अहताएं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अहताएं होंगी।

6. सेवा की शर्तें और उपबन्ध

- (क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
- (ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को, छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।
- (ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएंगी।
- (घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।
- (ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी साविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।
- (च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

7.0 क्षेत्रीय/संकुल स्तर

मानीटरन के प्रयोजनों के लिए क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ताओं की पूर्णकालिक आधार पर नियुक्ति की जाएगी। एक क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ता 10 अध्ययन केंद्रों का प्रभारी होगा। क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ता की अहताएं वही होंगी जो कि प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के लिए निर्धारित की गई हैं। ऐसा व्यक्ति सेवानिवृत्त व्यक्ति हो सकता/सकती है। उच्च

माध्यमिक/माध्यमिक स्कूलों के सेवानिवृत्त प्रिंसीपलों को भी क्षेत्रीय/संकुलों समन्वयकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

3.0 अध्ययन केंद्र स्तर

- 8.1 अध्ययन केंद्र केवल ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे जोकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त नियमित बी.एड. पाठ्यक्रम चला रहे हैं। कोई भी संस्थान एक से अधिक विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र नहीं होगा।
- 8.2 अध्ययन केंद्र विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों/कालेजों में फैलाए जा सकते हैं। ट्यूटोरियल्स, परामर्श, सामूहिक चर्चा, वैयक्तिक अध्ययन तथा छात्रों की एसाइनमेंटों और उत्तर सामग्री आदि के भंडारण के लिए उपयुक्त स्थान और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- 8.3 किसी अध्ययन केंद्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या 100 से बढ़कर नहीं होगी।
- 8.4 प्रिंसीपल अथवा संस्थान के किसी वरिष्ठ सदस्य को समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। संस्थान के एक संकाय सदस्य को सहायक समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 100 छात्रों के बुनियादी यूनिट के लिए एक पूर्णकालिक अथवा दो अंशकालिक शैक्षणिक परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे।
- 8.5 शैक्षणिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी जिससे कि सभी आधारिक तथा प्रविधि पाठ्यक्रमों के पढ़ाने के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- 8.6 कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए जरूरी सहयोगी र्स्टाफ (एक सहायक और एक परिचर) अध्ययन केंद्र द्वारा सुलभ कराया जाएगा।
- 8.7 समन्वयकर्ता/सहायक समन्वयकर्ता/शैक्षणिक परामर्शदाता तथा सहयोगी र्स्टाफ को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा।

9. आधारिक तंत्र

बी.एड. (आमने-सामने) पद्धति के लिए विशिष्ट सुविधाओं से युक्त आधारिक तंत्र का प्रयोग बी.एड. (ओडीएलएस) कार्यक्रम के लिए भी किया जाएगा।

10. क्षेत्रीय अभ्यासक्रम केंद्र

क्षेत्रीय अभ्यासक्रम केंद्र ऐसे चुनिंदा स्कूलों में खोले जाएंगे जहां कि प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों को अभ्यास शिक्षण, कार्य अनुभव, कार्य अनुसंधान अध्ययनों तथा नवाचारी पाठ्यचर्यात्मक परिपाठियों के लिए आवंटित किया जाएगा। पहले वर्ष के 500 प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों तथा दूसरे वर्ष के 500 प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के यूनिट के लिए इस तरह के 50 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

11. छात्र सहयोग प्रणाली

- प्रत्येक अध्ययन केंद्र में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम में कम से कम 60 घंटों की अवधि के लिए अन्योन्यक्रियापूर्ण संपर्क कक्षा सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय/संकुल/संरथान/अध्ययन केंद्र के पुस्तकालय के प्रयोग के लिए इस पाठ्यक्रम के छात्रों को वैसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जैसी कि सभी नियमित आमने-सामने छात्रों के लिए उपलब्ध रहती हैं।
- इंटरनेट/टेलीविजन/वीसीआर/ओएचपी आदि जैसी गैर-मुद्रित अधिगम सामग्री सुलभ कराने के लिए अध्ययन केंद्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- अध्ययन केंद्रों में छात्रों को परामर्शदाता सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

12. मानीटरन और पर्यवेक्षण

- 12.1** अधिगम क्रियाकलापों का सुचारू संचालन तथा अध्ययन केंद्रों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय के कोर संकाय द्वारा नियमित आंतरिक मानीटरन किया जाएगा। विश्वविद्यालय कार्यक्रम के विभिन्न अंगों - संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन, अभ्यास शिक्षण का पर्यवेक्षण, छात्रों के लिखित एसाइनमेंट्स की तत्काल प्रस्तुति, मूल्यांकन और फीडबैक के नियमित मानीटरन की एक विस्तृत कठोर प्रणाली निर्धारित समय-सूची, परामर्श और मार्गदर्शन आदि के अनुसार तैयार और संचालित करेगा।
- 12.2** मानीटरन की प्रणाली मुख्यालय द्वारा सभी रस्तों पर सावधानीपूर्वक तैयार और कार्यान्वित की जाएगी।

13. शुल्क संरचना

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर शुल्क वसूला जाएगा।

14. कार्यक्रम की मान्यता की मंजूरी के लिए आवेदन करने की पूर्वापेक्षाएं

बी.एड. (पूरथ शिक्षा पद्धति) शुरू करने के लिए मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को आवेदन करने से पूर्व विश्वविद्यालय को निम्न कार्य पूरे कर लेने चाहिए-

1. परीक्षा की योजना सहित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का निर्माण।
2. मुद्रित तथा गैर-मुद्रित पाठ्यक्रम-सामग्री का निर्माण।
3. र.प्रशिप/डीईसी से आशय का प्रमाण-पत्र की अध्ययन सामग्री मानदंडों के अनुसार निर्माण किया जाएगा।
4. अध्ययन केंद्रों की पहचान।
5. विश्वविद्यालय तथा मेजबान/सहयोगी संरथान के बीच एक सहमति-ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा जिसमें पाठ्यक्रम को चलाने के लिए जरूरी अतिरिक्त सुविधाओं और अधारिक सहयोग की जरूरतों का उल्लेख किया गया हो।

**मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में मास्टर
(एम.एड.) की डिग्री दिलाने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए
मानदंड और मानक**

1.0 प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित एम.एड. कार्यक्रम का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों, अध्यापक प्रशिक्षकों, नीति निर्माताओं, शैक्षिक प्रशासकों, शैक्षिक शोधकर्ताओं, पाठ्यचर्चा और सामग्री निर्माताओं तथा शिक्षा प्रणाली में अन्य को व्यावसायिक उन्नति के लिए एम.एड. पाठ्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है।

2.0 पाठ्यक्रम का नाम

शिक्षा में मास्टर (एम.एड.)

3.0 संस्थानों की कोटियां और उनका क्षेत्राधिकार**3.1 संस्थान**

3.1.1 यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा निदेशालयों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

3.2 क्षेत्राधिकार

3.2.1 पाठ्यक्रम का क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में योग्य अध्यापक प्रशिक्षकों की उपलब्ध न होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एम.एड. (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) की पेशकश करने के इच्छुक इस क्षेत्र के विश्वविद्यालय सभी पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के छात्रों को दाखिला दे सकते हैं।

3.2.2 विशिष्ट भाषा/भाषाओं के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की जल्दत पूरी करने के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित संस्थानों को भी इस पाठ्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति दी जाती है।

4.0 अवधि

(i) परीक्षा में लगने वाले समय सहित दाखिले की तारीख से 24 महीने। इस अवधि की गणना दाखिलों की समाप्ति की तारीख से की जाएगी।

5.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि**5.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

एम.एड. (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए बुनियादी इकाई 150 सीटों की होगी और इसमें दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में अतिरिक्त वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं होगा।

5.2 इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 55% अंकों सहित बी.एड. अथवा समतुल्य डिग्री के धारक तथा उपर्युक्त पैरा 1.0 में यथावर्णित सेवारत अध्यापक पात्र हैं।

5.3 दाखिले की क्रियाविधि

- (i) अभ्यर्थियों के चयन के लिए संस्थान/विश्वविद्यालय एक उपर्युक्त क्रियाविधि तैयार करेगा।
- (ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

6.0 मुख्यालय में सुविधाएं

दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम.एड. कार्यक्रम में अनेक क्रियाकलाप शामिल रहते हैं जैसे कि कोर्स का अभिकल्प, परामर्श, शोध प्रबंध, मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम निर्माण, छात्रों के एसाइनमेंट्स की जांच, मानीटरन, स्व-शोधक अधिगम सामग्री, संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन, अध्ययन केंद्रों में स्टाफ का दिशा-अनुकूलन आदि। मुख्यालय/नोडल केंद्रों में संकाय इन सभी पक्षों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। यह जरूरी है कि सुविधाएं और विशेषज्ञता विश्वविद्यालय मुख्यालय और साथ ही अध्ययन केंद्रों-दोनों में उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यालय/नोडल केंद्र केवल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में ही नहीं बल्कि एक सक्रिय संसाधन केंद्र के रूप में भी काम करेगा। मुख्यालय/नोडल केंद्रों में पूर्णकालिक और सुयोग्य स्टाफ की नियुक्ति करना जरूरी है। छात्रों की जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त अंशकालिक संकाय भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

6.2 स्टाफ

- (i) कोर संकाय में मुख्यालय/नोडल केंद्र में चार अध्यापक शामिल होंगे—1 प्रोफेसर, 1 रीडर तथा 2 पूर्णकालिक अथवा 4 अंशकालिक लेक्चरर।

6.3 शिक्षण स्टाफ की अर्हता

प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष:

अर्हताएं:

- (i) स्नातकोत्तर रत्तर पर और अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा में पढ़ाने के 10 वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे दिए अनुसार।

रीडर:

अर्हताएं:

- (i) स्नातकोत्तर रत्तर पर और अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा में पढ़ाने के 5 वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे दिए अनुसार।

टिप्पणी: उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रोफेसर/रीडर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तथा उपर्युक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में एक बार में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए शिक्षा में अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/रीडर शिक्षा की संविदा आधार पर नियुक्ति तब तक के लिए की जा सकती है जब तक कि ऐसे उम्मीदवार सेवानिवृत्ति के बाद की संविदागत सेवा में 65 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें।

लेक्चरर:

- (i) कम से कम 50% अंकों सहित मार्टर डिग्री और एम.एड।
- (ii) किसी भी विषय में पी.एचडी.

(शिक्षा/शैक्षिक आयोजना और प्रबंध में पी.एचडी. को विशेष भारिता दी जाएगी)

6.4 भौतिक आधारिक संरचना

संकाय सदस्यों के लिए कमरे/केबिन, कंप्यूटर कक्ष, सामग्री उत्पादन केंद्र, स्टोर, कार्यालय कक्ष, सम्मेलन कक्ष, हार्डवेयर और सफ्टवेयर तथा पाठ्यक्रम सामग्री के निर्माण के लिए शृंखला-दृश्य स्टूडियो जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

6.5 शिक्षणात्मक आधारिक तंत्र

6.5.1 पुस्तकालय

अध्यापक शिक्षा से संबंधित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक शब्दकोषों, अद्वकोषों, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों, रीडी रोम तथा अध्यापक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि विषयक अनुसंधान पत्रिकाओं से सुसज्जित एक पुस्तकालय होगा।

7. सेवा की शर्तें और उपबन्ध

- (क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
- (ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।
- (ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।
- (घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।
- (ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी साविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।
- (च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

- (छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

8.0 अध्ययन केंद्र

- 8.1** अध्ययन केंद्र राअशिप द्वारा अधिमानतः स्नातकोत्तर रत्तर पर मान्यताप्रदत्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। तथापि, राअशिप द्वारा मान्यताप्रदत्त तथा आवश्यक सुविधाओं और अपेक्षित संख्या में योग्य स्टाफ से युक्त अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बी.एड. कालेजों पर भी विचार किया जा सकता है।
- 8.2** अध्ययन केंद्र के माध्यम से दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या एक बैच में 25 से अधिक नहीं होगी।
- 8.3** संस्थान के प्रिंसीपल अथवा किसी वरिष्ठ सदस्य को समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। संस्थान के एक संकाय सदस्य को सहायक समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- 8.4** विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षा विभागों/प्रशिक्षण संस्थानों के अन्य संकाय सदस्य शिक्षण और शोध मार्गदर्शन में प्रवृत्त रहेंगे।
- 8.5** अध्ययन केंद्र में एक समन्वयकर्ता सहित पांच अंशकालिक शैक्षणिक परामर्शदाता उपलब्ध रहेंगे।

9.0 शैक्षणिक इन्पुट

9.1 सामग्री

अध्ययन केंद्रों को छात्रों के प्रयोग के लिए ख-अधिगम मुद्रित और गैर-मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। दूरस्थ शिक्षा संस्थान, प्रशिक्षण, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन सामग्री का निर्माण और प्रयोग करते हैं। कार्यक्रम की क्षमता केंद्रों में उपलब्ध कराई गई इस तरह की सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा तथा कोटि पर निर्भर करती है।

शिक्षणात्मक क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए अध्ययन केंद्रों में प्रयोगशालाएं उपलब्ध रहनी चाहिए।

9.2 संपर्क कार्यक्रम

अध्ययन केंद्रों द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए संपर्क कार्यक्रमों और क्षेत्र-आधारित शोध-प्रबंध कार्य सहित समूचे पाठ्यक्रम में विस्तारित कम से कम 300 संपर्क घंटे उपलब्ध कराए जाएंगे। संपर्क कार्यक्रमों तथा शोध प्रबंध कार्य का पर्यवेक्षण विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षा विभागों/प्रशिक्षण कालेजों के अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा किया जाएगा। अध्ययन केंद्र द्वारा स्थानबद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

9.3 मूल्यांकन

केंद्रों में छात्रों को एसाइनमेंटों, प्रायोगिक कार्य तथा अन्य आकलनों के मूल्यांकन पर आधारित नियमित फीडबैक प्रदान किया जाएगा।

9.4 छात्र सहयोग सेवाएं

- (i) विश्वविद्यालय और इसका संबंधनप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालय का प्रयोग पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा किया जा सकेगा।
- (ii) इंटरनेट/टेलीविजन/वीसीआर/सीडी प्लेयर/ओएचपी आदि जैसी गैर-मुद्रित अधिगम सामग्री का लाभ उठाने कि सुविधाएं अध्ययन केंद्रों में उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (iii) अध्ययन केंद्रों में छात्रों को परामर्शी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

9.5 मानीटरन और पर्यवेक्षण

शोध-प्रबंध कार्य सहित अधिगम क्रियाकलापों का सुचारू संचालन तथा अध्ययन केंद्रों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय के कोर संकाय द्वारा नियमित मानीटरन किया जाएगा।

विश्वविद्यालय कार्यक्रम के विभिन्न अंगों - संपर्क कार्यक्रम, स्थानबद्ध प्रशिक्षण, शोध-प्रबंध तथा क्षेत्रीय कार्य, एसाइनमेंट्स की तत्काल और नियमित प्रस्तुति तथा मूल्यांकन फीडबैक के नियमित मानीटरन की एक विस्तृत प्रणाली निर्धारित समय-सूची, परामर्श और मार्गदर्शन आदि के अनुसार तैयार और संचालित करेगा।

10.0 शुल्क संरचना

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर शुल्क वसूला जाएगा।

11.0 कार्यक्रम की मान्यता की मंजूरी के लिए आवेदन करने की पूर्वापेक्षाएं

एम.एड. (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति) शुरू करने के लिए मान्यता प्रदान किए 'जोने' के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को आवेदन करने से पूर्व विश्वविद्यालय/संस्थानों को निम्न कार्य पूरे कर लेने चाहिए-

1. परीक्षा की योजना सहित पाठ्यवर्चया और पाठ्यक्रम का निर्माण।
2. मुद्रित तथा गैर-मुद्रित पाठ्यक्रम-सामग्री का निर्माण।
3. अध्ययन केंद्रों की पहचान।
4. डीईसी से आशय का प्रमाण-पत्र की अध्ययन सामग्री मानदंडों के अनुसार अभिकल्पित और विकसित की गई है।
5. विश्वविद्यालय तथा अध्ययन केंद्रों के बीच एक सहमति-ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा जिसमें पाठ्यक्रम को चलाने के लिए जरूरी अतिरिक्त सुविधाओं और आधारिक सहयोग की जरूरतों का उल्लेख किया गया हो।